Haryana Vidhan Sabha

Debates

18th January, 1972 (Morning sitting)

Vol. I No.7

OFFICIAL REPORT

CONTENTS

Tuesday, the 18th January, 1972

(Morning sitting)

	Page
Started Questions and Answers	(7)1
Point of order-	
Regarding Change in the order of the House	(7)21
Presentation of the Report of the Business Advisory Committee	(7)24

Observation made by the Speaker regarding the refusal of the Government to reply to question pertaining to more than one Department	(7)27
Call Attention Notice	(7)34
Question of Privilege regarding the publication of a news items in the 'Hindustan Times'	(7)36
Resolution re-lack of Confidence in the Deputy Speaker	(7)37
Announcement by the Secretary	(7)40
Personal Explanation by Chaudhri Ranbir Singh	(7)40
Presentation of Report of the Committee on Estimates	(7)41
Supplementary Estimates (Second instalment) 1971-72	(7)41
(i) Estimates of the Expenditure charged on the Revenue of the State.	
(ii) Discussion and voting of Demands for Supplementary Grants	
Official Resolution:-	(7)54
Re-ratification of the amendments to the Constitution of India falling within the purview of the proviso to Clause (2) of Article 368 thereof	

HARYANA VIDHAN SABHA

Tuesday, the 18th January, 1972 (Morning sitting)

The Vidhan Sabha met in the Hall of the Haryana Vidhan Sabha,

Vidhan Bhavan, Sector-I, Chandigarh at 9.30 A.M. of the Clock.

Mr. Speaker (Brig. Ran Singh) in the Chair.

STARRED QUESTIONS AND ANSWERS

Augmentation Scheme

***1363. Sh. Daya Krishan**: Will the Minister for Irrigation and power be pleased to state:-

(a) the total number of tube-wells working under the augmentation Schemc as on 1-1-1972;

(b) the total number of more tube-wells proposed to be installed during the period from 1-1-1972 to 1-1-1973;

(c) the extent of benefit accrued and likely to accrue under this scheme as on 1-1-1972 and on 1-1-1973 separately;

(d) the details of the area which is likely to be benefited by such scheme and by what date;

(e) the total cost of the whole scheme togetherwith the extent of its benefit to the public; and

(f) whether this scheme was working satisfactorily as on 1-1-1972?

Irrigation and Power Minister (Sh. Ram Dhari Gaur):

(a) 342

(b) 400

(c) (i) On 1-1-1972 570 cusecs as installed capacity.

(ii) On 1-1-1973 1600 cusecs as installed capacity.

(d) Entire area under western Jamuna Canal System will benefited from these tubewells by 1-1-1973.

(e) (i) Rs. 4.50 crores.

(ii) Additional supply of 1000 cusecs of water would increase the intensity of irrigation in the area served by Western Jamuna Canal System.

(f) Yes.

श्री दया कृष्ण: क्या वजीर साहब बतायेंगे कि इस स्कीम के तहत कुल कितने टयूबवैल्ज लगाये जा सकते है?

श्री रामधारी गौड़: तकरीबन पांच सौ टयूबवैल्ज लगाये जायेंगे।

श्री बनारसी दास गुप्ता: क्या सिचाई मंत्री महोदय बताने का कष्ट करेंगे कि जमुना कैनाल पर जो औगमैटेशन टयूबवैल्ज लगाये जा रहे हैं उनके लगने से, जो किसानों ने पहले लगाये हुए हैं, टयूबवैल्ज को नुक्सान तो नहीं होगा?

श्री रामधारी गौड़: ये औगमैंटेशन टयूबवैल्ज बहुत गहरे है जबकि किसान शैलौं टयूबवैल्ज लगाते हैं जो तकरीबन एक सौ फुट की गहराई तक होते हैं। लेकिन ये टयूबवैल्ज एक हजार से तेहर सौ फुट तक गहरे जाएंगे। ये बहुत डीप हैं इस वास्ते नुक्सान की कोई सम्भावना नहीं है।

श्रीमती चन्द्रावती: क्या यह सच्च है कि जहां टयूबवैल्ज डीप लगते हे। वहां के आस–पास के इलाके मं लगे हुए शैलों–टयूबवैल्ज क पानी खींच लेते हैं? अगर ऐसा है तो क्या किसानों में इसके लिए किसी किस्म की रिजेंटमैंट हैं?

श्री रामधारी गौड़: अभी बताया गया है कि इन टयूबवैल्ज के लगने से नुक्सान की कोई सम्भावना नहीं है क्योंकि ये बहुत गहरे होते हैं।

श्री सत्य नारायण सिंगाल: क्या मिनिस्टर साहब बताने का कष्ट करैंगे कि इनसे जो एक हजार क्युसिक पानी वैस्टर्न जमुना कैनाल में पड़ेगा उससे वही रकबा सैराव किया जाएगा जो इस वक्त इसके लिए फिक्सड है? जो इस वक्त इसके कमाण्डिड एरिया में है उसी को मजीद पानी देंगे या नये रकबे को भी देंगे?

श्री रामधारी गौड़: उसी को दिया जाएगा जिसको पहले दिया जा रहा है।

चौधरी प्रताप सिंह (दौलतपुर): क्या मिनिस्अर साहब वाटर रेट भी बढ़ा देंगे या यही रहेगा जो इस वक्त है?

मुख्यमंत्री (श्री बंसी लाल): वाअर रेट नहीं बढ़ाएंगे, वाटर–अलाउंस बढ़ाया जा सकता है।

Loans to Harijans for purchase of Tractors

***1405. Smt. Chandravati**: Will the Minister for Agriculture be pleased to state:-

(a) the total number of Harijans who purchased tractors from Ist January, 1970, to-date after obtaining a loan from the State Government and what is the make of such tractor; and

(b) the area of land possessed by each such Harijan?

Development Minister (Sh. Prabhu Singh):

(a) No.

(b) Question does not arise.

श्रीमती चन्द्रावती: ये एग्रीकल्चर मिनिस्टर कब से हो गए। मैंने सवाल में किसी और मिनिस्टर के नाम से पूछा था लेकिन जवाब दे रहें है प्रभु सिंह। क्या ये ऐग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं?

श्री प्रभु सिंह: स्पीकर साहव, मैं आनरेबल मैम्बर साहब की जानकारी के लिए बता देता हूं कि जो मुझे आनसर आया है वह डिवैल्पमेंट मिनिस्टर के नाम से आया हैं, एग्रीकल्चर मिनिस्टर के नाम से नहीं आया।

श्रीमती चन्द्रावती: इसमें लिखा है एग्रीकल्चर मिनिस्टर, मैं पढ़ के बता देती हूं।

श्री अध्यक्ष: यह डिपार्टमैंट सूबेदार प्रभु सिंह का है।

श्रीमती शकुन्तला: क्या मंत्री महोदय बताने का कष्ट करेंगे कि टयूबवैल पर्पजिज के लिए हरिजनों को ट्रैक्टर देने का जो टारगैट रखा है वह किस लिए रखा गया है? अगर उनके पास जमीन नहीं है तो भी क्या उन्हें यह दिए जांएगे?

श्री प्रभु सिंह: इस सवाल से इस सप्लीमेंटरी क्वैश्चन की कोई रैलेवैंसी नहीं है।

श्रीमती शकुन्तला: स्पीकर साहब, इन्होंने लिखा हुआ है कि हरिजनों को ट्रैक्टर देंगे। जब जमीन नहीं है तो ट्रैक्टर किस लिए दे रहे हैं?

श्री प्रभु सिंह: इस क्वैश्चन से हरिजन वैल्फेयर का ताल्लुक नहीं है। सवाल कुछ है और उनके मन में कुछ और बात है। (हंसी)

श्रीमती शकुन्तला: क्या आप हमारे मन की बात जान गए हैं ..... (हंसी)

मुख्यमंत्री (श्री बंसी लाल): स्पीकर साहब, आप सवाल और तरह के हो रहे हैं .....(हंसी)..... न जाने क्या गड़बड़ है। (व्यवधान) डा. मंगल सैन जी धूप में बैठे हैं .....(हंसी)

श्री मंगल सैन: मुझ पर धूप का चमकार पड़ रहा है, आपके दर्शन भी नहीं होते, उनके दर्शन भी नहीं होते .....(हंसी)

श्रीमती चन्द्रावती: जैसा कि वजीर साहब ने फरमाया कि उनको ट्रैक्टर दिए ही नहीं, इसलिए सवाल ही पैदा नहीं होता। क्या सरकार हरिजनों को बिल्कुल ही ट्रैक्टर नहीं देगी, क्या सरकार ने प्रोहिबिट कर दिया है कि उनको ट्रैक्टर दिए ही नहीं जाएंगे, जैसा कि सवाल से जाहिर होता है कि आज तक उनको कोई ट्रैक्टर मिला ही नहीं। मैं समझती हूं इससे ज्यादा अन्याय की और क्या बात हो सकती है? हरिजन जो हमारा कमजोर वर्ग

है, उनके पास जमीन है और ये अच्छे किसार माने जाते हैं, उनको ट्रैक्टर क्यों नहीं दिए गए?

श्री प्रभु सिंह: स्पीकर साहिब, मुझे तीसरी बार फिर खड़ा होना पड़ा है। मैं आनरेबल मैम्बर की जानकारी के लिए आपके जरिए हाउस को बता दूं कि क्वैश्चन में पूछा गया है कि क्या हरिजनों ने गवर्नमेंट से लोन लिया है? मैंने कहा 'नहीं'। मैंने यह नहीं कहा कि हरिजनों पर ट्रैक्टर खरीदने पर पाबन्दी लगी हुई है। हम तो हरिजनों को जीप, ट्रक, टैक्सी वगैरह खरीदने के लिए खुले दिल से सहायता देते हैं। हरिजन कल्याण निगम ने इस पर्पज के लिए पहले ही दो करोड़ रूप्या रखा है।

श्री फतेह चन्द विज: स्पीकर साहब, मिनिस्टर साहब ने सवाल के पार्ट 'ए' के जवाब में कहा है 'नो'। क्या आप बता सकते हैं कि ट्रैक्टर खरीदने के लिए हरिजनों की कितनी दरखास्तें आई हैं?

Sh. Bansi Lal: It requires separate notice because this subject relates to an other Minister, and not only a separate Minister, but an autonomous body is concerned with it.

श्रीमती शकुन्तला: स्पीकर साहब, क्वैश्चन के (ख) भाग में पूछा था – ''ऐसे प्रत्येक हरिजन के पास कितनी भूमि है''। आपने इस सवाल के जवाब में क्या कहा है?

श्री प्रभु सिंह: मैंने कहा कि ट्रैक्टर दिया ही नहीं, इसलिए जमीन की असैसमैंट कैसे निकालते कि कितनी जमीन है।

श्रीमती चन्द्रावती: स्पीकर साहब, मेरी सबमिशन है कि यहां पर सवालों को टालने की कोशिश की जाती है। सवाल तो ब्राड–बेस्ड हैं, इनको जवाब देना चाहिए। हरिजनों को कर्जा मिलता है या नहीं मिलता, इनका जवाब ठीक तरह से देना चाहिए, टालने की कोशिश न करें।

Mr. Speaker: I think the answer is that there is no tractor which a Harijan has bought after obtaining loan from the Government.

Sh. Bansi Lal: They have not taken loan. But for tractors they have a separate quota and there is some reservation for them so far as I can recollect. So this supplementary does not arise out of the question.

Dam on River Jamuna

***1364. Sh. Daya Krishan**: Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state:-

(a) whether there is any scheme under consideration of the Government to construct a dam on river Jamuna;

(b) if so, the stage of this scheme together with the period within which it is likely to be completed;

(c) whether the construction of such dam has been delayed if so, the reasons therefore;

(d) the total estimated cost of the said scheme together with the benefit likely to be accrued to the State therfrom; and

(e) the details of the area which will be benefited by this scheme?

Irrigation and Power Minister (Sh. Ram Dhari Gaur):

(a) to (c)

A proposal to construct Kishau Dam on river Tons, a tributary of river Januna, has been under consideration of the Government of India for some years. Several Inter-State meetings have been held but final decisions are yet to be taken. The questions relating to apportionment of the benefits, theh location and the storage capacity of the dam are under consideration of the State Government concerned and the Government of India.

(d) A realistic estimate of the cost is not available, since the site has not yet been decided. However, according to an estimate prepared by the U.P. Government, the cost was estimated to be of the order of Rs. 180 crores.

(e) No area has been specially earmarked to receive water from this dam. The water coming

to the share of Haryana will be used where required.

श्री दया कृष्ण: क्या वजीर साहब फरमायेंगे कि यह स्कीम पहले कब बनी थी?

Chief Minister (Sh. Bansi Lal): This date is not available with us because thinking on this scheme started long before.

Mr. Speaker: Probably Sh. Daya Krishan knows it.

Sh. Bansi Lal: May be.

श्री दया कृष्ण: अब किस स्टेज पर है?

श्री बंसी लाल: स्पीकर साहब, किसाऊ डैम से, जैसा आनरेबल मैम्बर ने फरमाया कई स्टेटों का सम्बन्ध है, जैसे हिमाचल, यू.पी., दिल्ली, राजस्थान और हरियाणा। पिछले साल हम किसाऊ डैम की साईट देखने के लिए गए थे। किसाऊ डैम की पहले जो साईट सिलैक्ट की गई थी वहां इंजीनियर्ज की राय ऐसी थी कि अब वहां डैम नहीं बन सकेगा क्योंकि उसके थोड़ा डाऊन स्ट्रीम यू.पी. ने एक पावर हाउस बना दिया है। उसके पानी का कैचमैन्ट एरिया जो होगा वह पहले जहां किसाऊ डैम बनना था उसकी साईट के आसपास चला जाएगा। वह जगह अब इम्पौसिबल हो गई है। अब इसके लिए उससे अप–स्ट्रोम जाएंगे। तो उसके लिए गवर्नमैंट आफ इंडिया के पास डिसिजन पैन्डिंग है।

and they are examining it de-novo. So, we cannot say what will be the new proposal and by what time the Government of India will be able to take a decision in the matter. We are pressing the Government of India that this scheme should be started as early as possible.

श्री फतेह चन्द विज: स्पीकर साहब, चीफ मिनिस्टर साहब ने अभी बताया कि यू.पी. वालो ने वहां एक पावर हाउस बना लिया है। तो मैं उनसे जानना चाहता हूं कि उस पावर हाउस को बनाने के लिए क्या उन्होंने ज्वांयट बोर्ड को कोई दरखास्त दी थी या बोर्ड की मंजूरी के बगैर ही बना लिया?

श्री बंसी लाल: स्पीकर साहब, डौकुमैन्टस इस समय मेरे पास नहीं हैं लेकिन पंजाब सरकार के वक्त यह केस रैफर हुआ था और उस समय की पंजाब सरकार ने यह कह दिया था कि बिजली के पावर हाउस की बात में हम हिस्सेदार रहना नहीं चाहते।

श्री मंगल सैन: स्पीकर साहब, सिंचाई मंत्री ने कहा कि इस डैम के बारे में कई बार मीटिंग हुई है और कई बार विचार हुआ है। क्या मैं उनसे जान सकता हूं कि कब से विचार शुरू हुआ है?

Sh. Bansi Lal: I have already told that the exact date is not available. But this point has been coming up for a very long time.

श्री मंगल सैन: स्पीकर साहब, हमें बड़ा ताज्जुब होता है क्योंकि मुख्यमंत्री जी जहां जाते हैं वहां यही कहते हैं कि किसाऊ डैम बहुत जल्दी बनने वाला है। वजीर साहब भी यही कहते हैं लेकिन यहां जब क्वैश्चर होता है तो कहते हैं कि न साईट तय हुई है और न ऐस्टिमेट तैयार हुआ है।

श्री बंसी लाल: स्पीकर साहब, मैंने किसी स्पीच में नहीं कहा कि किसाऊ डैम जल्दी बनने वाला है। अलबत्ता, एक बात पब्लिक मींटिग में जरूर कही होगी, जैसे मैंने अभी अर्ज किया है, कि हम गवर्नमैंट आफ इंडिया को बार–बार चिट्ठी लिखते हैं, उनसे मिलते हैं , मीटिंग भी करते हैं, कि जल्दी–जल्दी हम डैम की साईट को तय करो और इसको बनाना शुरू करो ताकि हमारी पानी की दिक्कत खत्म हो।

चौ. चांद राम: स्पीकर साहब, यह जो डैम जमुना नदी पर बनना है इसकी तजवीज ज्वांयट पंजाब से चली आ रही है। तो क्या मैं सरकार से मालूम कर सकता हूं कि यइ इसको बनाने की कोई टाईम लिमिट गवर्नमैंट आफ इंडिया से तय करेगी? स्पीकर साहब, जमुना ही एक ऐसा दरिया है जो हरियाणा में बहता है और जिससे हमारा इरीगेशन पोटैन्शल बढ़ सकता है। इस बात के पेशे–नजर क्या कोई टाईम लिमिट सरकार गवर्नमैंट आफ इंडिया से तय करेंगी?

श्री बंसी लाल: स्पीकर साहब, हमारे वश की बात हो तो आज शाम को टाईम लिमिट तय करवा लें। मैंने पहले भी कहा कि हम बार–बार गवर्नमैंट आफ इंडिया को चिट्टियां लिख रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं और सब स्टेटों के साथ भी मीटिंग हुई है। यहां तक कि मैं और इरीगेशन मिनिस्टर, खुद किसाऊ के मौ पर भी गए हैं लेकिन यह काम होगा तो तभी जब गवर्नमैंट आफ इंडिया फैसला करेगी। हम तो अपनी तरफ से ज्यादा से ज्यादा जल्दी कर रहे हैं।

श्री मंगल सेन: स्पीकर साहब, मुख्यमंत्री जी ने बताया कि आज शाम को ही वक्त तय कर देंगे। इसलिए मैं जानना चाहता हूं कि आज कोई इस सम्बन्ध में किसी किस्म की मीटिंग होने वाली हैं?

श्री बंसी लाल: स्पीकर साहब, डाक्टर साहब ने पूरी बात नहीं सुनी। मैंने कहा कि अगर हमारा जोर चलता हो तो आज शाम को ही टाईम तय करवा लें।

चौ. चांद राम: क्या चीफ मिनिस्टर साहब बताएंगे कि गवर्नमैंट आफ इंडिया और यू.पी. सरकार से इनकी जो बातचीज हुई हैं उसके बारे में उनका रीऐक्शन क्या है?

श्री बंसी लाल: वे यह कहते है कि साईट सिलैक्ट करेंगे। साईट के बारे में गवर्नमैंट आफ इंडिया और यू.पी. के अफसर इंवैस्टिगेशन करेंगे। अभी उनको साईट सिलैक्ट करनी है।

पहले जो डैम बनना थी उस डैम को कैचमैंट ऐरिया यू.पी. में बनता था। अब जो डैम बनेगा उसका कैचमैंट ऐरिया हिमाचल में जाएगा। हिमाचल की गवर्नमैंट भी साथ होगी, यू.पी. की भी होगी और सैन्ट्रल गवर्नमैंट भी होगी। Then thee will be a decision. But the Central Government is also trying its level best to take the decision as early as possible.

चौ. चांद राम: क्या मुख्यमंत्री जी बताएंगे कि पिछले चार या पौने चार साल में उन्होंने कितनी चिट्ठियां गवर्नमैंट आफ इंडिया को लिखीं और कितनी बार पर्सनल लेवल पर बातें हुई।

श्री बंसी लाल: कम से कम तीन मीटिंगे इस सिलसिले में मैंने अटैन्ड की है। एक चौथी मीटिंग साईट के ऊपर भी मैंने अटैन्ड की है जिसमें सैन्टर के मिनिस्टर री के.एल. राव, यू.पी. के कंसर्न्ट मिनिस्टर मध्यप्रदेश के मिनिस्टर क्योंकि थोड़ा सा मध्यप्रदेश भी इसमें आएगा, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश के रिप्रैजैन्टेटिवज भी शामिल थे। इस मीटिंग में हम सब स्टेटों ने यह जोर डाला है कि इसको प्रायरिटी दो। उस समय इर्रीगेशन एंड पावर मिनिस्टर श्री के.एल. राव थे और उन्होंने यह कहा था कि फंडज की दिक्कत आ रही है। हमने उनसे कहा था कि इस समय तो जितना रूपया लगे उसे सैन्ट्रल गवर्नमैंट खर्च करें और बाद में वह स्टेट गवर्नमैंट से इंस्टालमैंटस में लेना शुरू कर ले।

डा. मलिक चन्द गम्भीर: स्पीकर साहब, चीफ मिनिस्टर साहब ने बताया कि यू.पी. और सैन्ट्रल गवर्नमैंट के औफिसज़

इंवैस्टिगेशन कर रहे है। क्या वे बताने की कृपा करैंगे कि क्या हमारे हरियाणा के अफसर उसमें शामिल नहीं हो सकते?

श्री बंसी लाल: एक स्टेज पर यह तय हो गया था। पहले ऐसा था कि पंजाब की गवर्नमैंट इसको इंवैस्टिगेट करेगी। फिर एक मीटिंग हुई ज्वांयट पंजाब के टाईम में जिस समय चौधरी रणबीर सिंह मिनिस्टर थे। उस मीटिंग के अन्दर राजस्थान, पंजाब, यू.पी. और सैन्ट्रल गवर्नमैंट इन सबने मिलकर यह फैसला किया था कि इसकी फरदर इंवैस्टिगेशन यू.पी. गवर्नमैंट की अधिकारी करेंगे।

चौ. लाल सिंह: स्पीकर साहब, सरकार को मालूम है कि जितनी भी नदियां हैं, जैसे टांगरी, मारकंडा, जुमना, कोमला और बैंगनी, यह सारी की सारी नारायणगढ़ से गुजरती हैं। इसलिए मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि क्या ये नारायण गढ़ में भी कोई बांध लगायेंगे? पहले वैसे सरकार ने कहा भी था कि काला आम के पास यह सरकार बांध लगाएगी।

श्री बंसी लाल: स्पीकर साहब, बात यह है कि हमें पता नहीं था कि नारायणगढ़ सब नदियों का जंक्शन है।

चौ. चांद राम: क्या यह हकीकत है कि जैसे हरियाणा सरकार ख्वाहिशमंद है, उसकी यू.पी. सरकार नहीं है?

श्री बंसी लाल: हम किसी गवर्नमैंट के खिलाफ मोटिव इंयूट नहीं करैंगे। They are equally keen as we are.

चौ. चांद राम: स्पीकर साहब, हरियाणा बनने के बाद भी अब पांच साल होने को आए हैं बल्कि पांच साल से ज्यादा ही हो गए हैं। पांच साल से हम अपने उस डैम को भी नहीं बना पाए हैं जिससे हमारे यहां पानी बढ़ सकात हैं। स्पीकर साहब, हमारे यहां एक ही ऐसा डैम बनना है जिससे यहां पानी बढ़ सकता है। चीफ मिनिस्टर तो तेजी से काम करने के बड़े आदी है, इन्होंने यह काम भी कर लिया होगा। मैं इस बात से इन्कार नहीं करता कि हमारी गवर्नमैंट ख्वाहिशमंद है। इस बात के पेशे–नजर कि इतने स्नैगज हों। साईट सिलैक्ट न हो और चार स्टेटों को फायदा होता हो, मैं यह जानना चाहता हूं कि आया यू.पी. गवर्नमैंट ख्वाहिशमंद है भी या नहीं? टैक्निकल आदमी, हरियाणा में, पंजाब में और इस देश में काफी है जो साईट सिलैक्ट कर सकते हैं। जब इतने डैम बन चुके हैं तो इसमें इतनी देर क्यों?

श्री बंसी लाल: स्पीकर साहब, जैसे मैंने प्रार्थना की है, इसके लिए पहले जो साईट थी वह अब चेन्ज करनी पडेगी। वहां डैम नहीं बन सकता। अप–स्ट्रीम उस जगह से कुछ मील जाना पड़ेगा। वहां रौक की इंवैस्टिगशन, पीछे किस किस्म का कैचमैंट एरिया है, ये सब बातें देखने के बाद ही गवर्नमैंट आफ इंडिया फैसला करेगी। I can say that the U.P. Government is equally eager to have this Dam as early as possible.

Mr. Speaker: I think it appear that there is difficulty about the funds. If you remember after the Indo-Pak agreement on five Western rivers even today so much water is

flowing into Pakistan and the Government of India was not able to pay rs. 200 crores. Here again it may be like that. Probably, one difficulty is that of funds. Then there are five States involved. To sort out the difficulties meetings have been held and so on.

चौ. चांद राम: स्पीकर साहब, आपने ठीक ही अबजर्ब किया है कि फन्डज कम है। यह तो हमारी स्टेट की बात नहीं है। फन्ड तो गवर्नमैंट आफ इंडिया ने ही देने है। पहले इस डैम का एस्टीमेट 130 करोड़ रूप्ये था और अीाी श्री रामधारी गौड़ बैठे हुए बता रहे थे कि 180 करोड़ का एस्टीमेंट हो गया है यानी यह पांच–छः साल में ही इतना बढ़ गया है। जब इस डैम को बनाने की शुरू में तजवीज हुई तो 65 करोउ़ का ही एस्टीमेंट बना था परन्तु यह दिन प्रति–दिन प्रासीज बढ़ने की वजह से बढ़ता ही जा रहा है। क्या सरकार कोई ऐसा रास्ता निकाल सकती है कि छः महीने के अन्दर ही साइट सिलैक्ट करने का काम पूरा हो जाये?

श्री बंसी लाल: स्पीकर साहब, मैं आनरेबल मैम्बर्ज कौ यकीन दिलाता हूं कि हमारी गवर्नमैंट इस मामले की जल्दी से जल्दी हल करने की कोशिश कर रही है। जहां तक इसकी लागत का सम्बन्ध है पहले 180 करोउ़ रूप्ये का बजट था और वह मोस्ट प्राबेबली उस साइट का था जो पहले सिलैक्ट की गई थी। अगर कोई नयी साइट सिलैक्ट की तो और भी बढ़ जायेगा। असलियत तो यह है कि साइट की भी दिक्कत है और फन्डज की भी दिक्कत है। गवर्नमैंट आफ इंडिया को सभी स्टेटस (Unanimously)

कह रही है कि पहले आप पैसा खर्च कर दो फिर बाद में हममारे से ले लेना।

चौ. रणबीर सिंह: कया मैं मुख्यमंत्री जी और सिचाई मंत्री से पूछ सकता हूं कि पहले जो डैम का साईट चुना गया था उसका अगला हिस्सा यू.पी. की तरफ है ओर दूसरा हिमायल प्रदेश में है और हरियाणा तो उसके कही नजदीक भी नहीं है। सन् 1963 में श्री के.एल. राम ने यह यकीन दिलाया था कि साल के अन्दर इनवैस्टीगेशन हो जायेगी और छः साल के अन्दर यह कम्पलीट हो जायेगा परन्तु अभी तक तो इन्वैस्टीगेशन भी नहीं हुई है। क्या हरियाणा सरकार हिन्द सरकार से दरखास्त करेगी कि सैन्ट्रल वाटर एंड पावर कमीशन की मार्फत या हरियाणा–पंजाब के स्टाफ की मार्फत जिसको डैमज बनाने का ज्यादा तजुरूबा है, इन्वैस्टीगेशन कराये ताकि यह काम जल्दी से पूरा हो?

श्री बंसी लाल: स्पीकर साहब, मैंने पहले भी प्रार्थना की है। पहले यह डैम बनाने की जिम्मेदारी पंजाब सरकार के अधिकारियों की थी परन्तु एक बार एक मीटिंग हुई जिसमें पंजाब को चौ. रणबीर सिंह जी रिप्रेजेन्ट कर रहे थे। उस मीटिंग में यह फैसला हुआ था कि आगे के लिए यू.पी. के अफसरान साइट की इनवैस्टीगेशन करेंगे।

चौ. रणबीर सिंह: स्पीकर साहब, मुख्यमंत्री जी ने मेरा जिक्र किया है मैं इस सिलसिले में एक ही बात बताना चाहता हूं कि जिस बात का यह जिक्र कर रहे हैं यह सन् 1941 की बात है।

श्री बंसी लाल: स्पीकर साहब, यह इनके टाईम की बात है। अभी मेरे पास डाक्मेन्टस नहीं है। मैं मंगवाने की कोशिश कर रहा हूं। अगर मिल गये तो पढ़ कर सुना दूंगा।

चौ. रणबीर सिंह: स्पीकर साहब जब पाकिस्तान और हिन्दुस्तान एक था उस टाईम का जो पंजाब था उसमें चौ. छोटू राम पी.डब्ल्यू.डी. मिनिस्टर थे। उन्होंने इस बात को चलाया था और उस वक्त यू.पी. सरकार ने भी माल लिया था। उस वक्त डाक्टर खोसला हुआ करते थे। यह भी फैसला हुआ था कि पंजाब सरकार इन्वैस्टीगेशन का काम करेंगी और हिमाचल उस वक्त नहीं था। जहां तक मेरा मिनिस्टर बनने का सम्बन्ध है, मैं तो सन् 1962–63 में आया हूं। उसके बाद फिर दोबारा बात शुरू की गयी। इस विषय में इन्टरस्टेट कान्फ्रेन्स हुई जिसमें पांच स्टेटस के नुमाइन्दों ने भाग लिया। उत्तरप्रदेश से श्री गिरधारी लाल ने, पंजाब से मैं था, दिल्ली केन्द्र शामित प्रदेश, हिमाचल, राजस्थान के भी थे। यह मीटिंग श्री के.एल. राज की सदारत में हुई। मैंने वहां पर कहा था कि हमने भाखड़ा डैम भी बनाया है इसलिए हमें बनाने की इजाजत दी जाये। लेकिन हमें इजाजत नहीं मिली। उत्तर प्रदेश की सरकार ने और श्री के.एल. राव ने यकीन दिलाया था कि एक साल के अन्दर–अन्दर इन्वैस्टीशन कम्पलीट हो जायेगी

परन्तु वह कम्पलीट नहीं हुई। चीफ मिनिस्टर साहब तो कागज देख कर बता रहे हैं, मैं तो जबानी बता सकता हूं। जब इतना अर्सा हो गया है और इन्वैस्टिीगेशन कम्पलीट नहीं हो रही है तो क्या हमारी सरकार उसकी इन्वैस्टीगेशन कम्पलीट कराने के लिए हिन्द सरकार को कहेगी कि वह सैन्ट्रल वाटर एंड पावर कमीशन के जरिये कराये ताकि देरी न हो?

श्री बंसी लाल: बाई चान्स यह कागज मेरे हाथ लग गया है। मैं इसे पढ़ कर सुना देता हूं जो पहले फैसला हुआ था।

"Investigations had been undertaken by the Punjab Engineers on multiputpose storage schemes on Tributaries of river Yamuna as for back aas 1912. In an Inter-State Conference held in June, 1943 between the Chief Engineers of Punjab and U.P. it was decided that the design and investigation on these schemes should be held by the Punjab Government. The position got changed in an Inter-State meeting hedl on 7-1-1963 under he Chiarmanships of Dr. K.L. Rao which was attended by Irrigation & Power Ministers of U.P. Rajasthan and Punjab. Punjab was represented by Ch. Ranbir Singh.

The Minutes of the meetings are enclosed....."

तो स्पीकर साहब उस मीटिंग में क्या हुआ कि यू.पी. के अफसरों के जिम्मे इन्वैस्टीगेशन का काम लगा दिया गया। उस मीटिंग के मिनट्स में पढ़ कर सुनाता हूं। पहले इसमें यू.पी. और

पंजाब का हिस्सा था परन्तु इन्होंने राजस्थान और दिल्ली को शामिल कर लिया। जो पहले पंजाब का हिस्सा था वह सारा हरियाणा को ट्रांसफर होना था परन्तु उस मीटिंग में क्या हुआ यह सुनने वाली बात है।

"Dr. Parmar of Himachal Pradesh prayed for a new constructive approach and appealed it should be agreed to in principle and details of share and proporationate costs could be wored out later. Sh. Girdhari Lal, Minister of U.P. then agred to the proposal suggested by Dr. K.L. Rao but suggested that U.P.'s share of benefit from Kissau Dam should not be les than 50 per cent of the total. Ch. Ranbir Singh, Irrigation & Power Minister, Punjab stated that he agreed that the proposal to construct Kissau Dam was the best. He desired it to be expedited. He agreed that the benefit should go to all the adjointing States including Rajasthan and Delhi."

This document, which I am reading, was signed by Ch. Ranbir Singh.

चौ. रणबीर सिंह: हां, मैंने दस्तखत किये। पानी के वास्ते नहीं, बिजली के लिए किए थे।

श्री बंसी लाल: मैं भी पानी की बात कर रहा हूं, पंजाब की बिजली का इसमैं कोई सवाल नहीं है। अगर मैं भूलता नहीं हूं तो बिजली के बारे में यही फैसला हुआ था। इस मीटिंग के बाद यू.पी. गवर्नमैंट ने पंजाब को एक चिट्ठी लिखी कि हम एक पावर

प्रोजैक्ट बनाने जा रहे हैं, क्या पंजाब इसमें कुछ हिस्सा चाहेगा? उसके जवाब में चौ. रणबीर सिंह जी ने लिख दिया ''नहीं''।

चौ. रणबीर सिंह: यह बिल्कुल गलत है और मैं इसे चैलेन्ज करता हूं।

श्री बंसी लाल: इनके वह चिट्ठी लिखने से हमें उस प्रोजैक्ट से जो बिजली मिलनी थी, वह भी चली गयी। वह बिजलीघर उन्होंने बना दिया और साथ ही किसाऊ डैम का साइट भी चेंज कर दिया।

चौ. दल सिंह: स्पीकर साहब, चीफ मिनिस्टर साहब ने कुछ समय पहले यह बताया है कि 1963 में कोई मीटिंग इस सिलसिले में हुई थी। इसका मतलब यह है कि तब से आज तक 8 साल से भी ज्यादा हो चुके हैं। चीफ मिनिस्टर साहब ने यह भी फरमाया कि उस पर चौ. रणबीर सिंह के दस्तखत हैं। क्या उनके दिमाग में यह चीज है कि जिस चीज पर चौ. रणबीर सिंह ने दरस्तखत कर दिये थे क्या उसमें यह चीज भी है कि उसको धीमा कर दिया जाए?

Sh. Bansi Lal: Even in these minutes Ch. Ranbir Singh emphasised on expenditing the project. We still are very keen to expedite the project. Everybody in Haryana is interested, in expediting the project because this is very important for us.

चौ. रणबीर सिंह: स्पीकर साहब, वह मीटिंग मेरी दरख्वास्त पर रखी गयी थी। 20 साल तक इनको रणबीर सिंह का कोई पता नहीं था लेकिन अब कहते हैं कि पंजाब के जमाने का मेरे पास आथैन्टिक डाकुमैंट है। खुद ही कहते हैं कि अचानक ही यह आथैन्टिक डाकुमैंट इनके हाथ लग गई है। .....

श्री बंसी लाल: स्पीकर साहब, एक बार फिर पढ़ कर सुना देता हूं।

श्री एस.पी. जयसवाल: क्या मिनिस्टर साहब यह बतायेंगे कि, जैसा उन्होंने कहा कि इस पानी का कुछ शेयर यू.पी. को जाना था और कुछ हिमाचल को, इन्टर नैशनल रिवर वाटर्ज को बाँटने का क्या प्रिंसिपल है?

श्री बंसी लाल: स्पीकर साहब, मिनट्स वाली बात यहाँ इसलिये आयी क्योंकि मैंने मीटिंग बुलाने के लिये जब कहा कि किसाऊ डैम को अन–नसैसरी डिले किया जा रहा है, तौ सैंट्रल गवर्नमैंट ने यह कहा कि यह डेट राजस्थान को सूट नहीं करती और यह हिमाचल को सूट नहीं करती। इस पर मैंने श्री के.एल. राव को एक चिट्ठी लिखी कि इसके ची में राजस्थान कैसे आ गया जबकि 2/3 हिस्सा पानी हरियाणा का है और 1/3 हिस्सा यू.पी. का हैं इसके जवाब में उन्होंने ये मिनट्स उठाकर मुझे भेज दिये कि उसके इरीगेशन एंड पावर मिनिस्टरी चौ. रणबीर सिंह ने इस फैसले को माना है और उनके इस पर दस्तखत हैं। उन्होंने

इस फैसले की कापी करवा के मुझे भिजवा दी कि चौधरी साहब ''हां'' करके गये थे। मैं इस बात को उन पर इल्जाम लगाने की नीयत से नहीं कर रहा हूं। हम तो उसे अब भी एक्सपीडाईट कराना चाहते हैं कि जितनी जल्दी हो सके यह डैम बनाया जाय। जितना ध्यान हरियाणा सरकार इसके लिये दे रही है शायद ही कोई और स्टेट दे रही हो।

श्री एस.पी जयसवाल: स्पीकर साहब मेरे सवाल का जवाब नहीं आया। मेरा प्वांयट यह था कि कौन सी कन्वैन्शन, रूल या ला है जिसके तहत इन्टर नैशनल रिवर्ज का पानी 1/3 या 2/3 या किसी और परपोरशन से किसी स्टेट को दिया जाता है।

श्री बंसी लाल: कन्वैन्शन यही रही हे कि सैंट्रल गवर्नमैंट ही इसका फैसला करती है, जैसे उन्होंने वैस्टर्न जमुना कैनाल, जो तालेवाला से होकर गुजरती है, का यह फैसला कि कि वन–थर्ड, यू.पी. का है और टू–थर्ड हरियाणा का है। ऐसा करने का क्राइटेरिया क्या है, इस बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। यह तो सैंट्रल गवर्नमैंट ही बता सकती है। जहाँ तक पानी का ताल्लुक है, किसी दरिया पर बाँध बना हो या न हो, सारा पानी देश का नैशनल वाटर है। सैंट्रल गवर्नमैंट जिसको जितना चाहे दे सकती है।

चौ. रणबीर सिंह: फिर रणबीर सिंह बीच में कैसे आ गया? स्पीकर साहब मुख्यमंत्री जी ने 1943 का भी जिक्र किया है

और 1963 का भी जिक्र किया है। मैं उनसे यह पूछना चाहता हूं कि 1943 का जो फैसला था, क्या उसके अन्दर बिजली के बँटवारे की बात भी थी?

श्री बंसी लाल: बिजली की बात नहीं थी।

चौ. रणबीर सिंह: स्पीकर साहब, उसमें सिर्फ पानी ही पानी का फैसला था। बिजली कैसे बंटेगी, इसका फैसला सन् 1943 में नहीं दिया गया था। जहाँ तक पानी का ताल्लुक है और जिसके बारे में जयसवाल जी ने पूछा भी था, सैंट्रल गवर्नमैंट की इरीगेशन एंड पावर मिनिस्ट्री की आम तौर पर यह प्रथा रही है कि जिसको जितना पानी जाये और जिसका जितना हिस्सा स्टोरेज वाटर में बनता है, उसको उसके मुताबिक ही बिजली दी जा सकती है। इसी प्रथा पर भाखड़ा प्रोजैक्ट बेस करता है, तथा दूसरे कई प्रोजैक्टस बेस करते हैं। पहले के हिसाब से ही पानी में, दरियाओं में बांध लगा कर नहीं, ऐस ही, दो हिस्सा पंजाब का यानी आज के हरियाणा का है और एक हिस्सा, उत्तर प्रदेश का हिस्सा है। आगे को जब उस पानी पर डैम बनायेगे तो कितना हिस्सा होगा, उसके लिये पंजाब का यह केस था कि चूंकि 2 हिस्सा पानी हमारे यहाँ बहता है, इसलिये हम डैम में दो हिस्सा खर्च देने के लिये तैयार हैं। दिल्ली में अब भी जमुना का पानी लेते हैं। यही नहीं इनकी जानकारी के लिये मैं अर्ज कर दूं कि राजस्थान को भी आज जमुना से पानी जा रहा है और जो गुड़गाँवां कैनाल प्रोजैक्ट है, उसके अन्दर भी राजस्थान हिस्सेदार

है। मेरे मंत्री बनने से पहले गुड़गाँवा कैनाल प्रोजैक्ट के अन्दर जमुना का पानी जाना था, यह अच्छा नहीं है कि मैं इस बात को गलत ढंग से कहूं। मैं तो यह कहता हूं कि मुख्यमंत्री जी को चाहिए, उनको हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने और उसकी अगुवाई करने का सौभाग्य मिला है और उन्होंने बड़े–बड़े काम किये हैं कि इसे जल्दी से जल्दी बनवायें। मैं उनसे प्रार्थना करता हूं और उसे फिर दोहराता हूं कि आप सैंट्रल गवर्नमैंट से कहें कि इस डैम की इन्वैस्टीगेशन या तो वह खुद करें या फिर हरियाणा या पंजाब गवर्नमैंट से करवायें क्योंकि यहाँ के इन्जीनियर्ज को डैम बनाने का तजुरूबा है।

श्री बंसी लाल: स्पीकर साहब, हमने सैंट्रल गवर्नमैंट से आफर की थी कि हम अपने अधिकारियौं से इस डैम की इन्वैस्टीगेशन करवा देते हैं। मगर उन्होंने कहा कि चूंकि पहले फैसला हो चुका है कि यू.पी. के इन्जीनियर्ज ही इन्वैस्टीगेट करेंगे इसलिये अब यू.पी. के इंजीनियर्ज ही इस काम को करेंगे। मैं अब हाउस को एक ही आश्वासन देना चाहता हूं कि जितनी जल्दी हो सके, हम इस डैम को बनवाने के हम में हैं। हमारी प्रार्थना पर ही इसे नये सिरे से रिवाईव किया गया है। हम इसके साथ ही सैंट्रल गवर्नमैंट से यह रिक्वैस्ट भी कर रहे हैं कि इसको जल्दी से बनाना शुरू कर दिया जाये। (शोर व व्यवधान)

चौ. चांद राम: स्पीकर साहब, मैं अभी चौ. रणबीर सिंह जी से बात कर रहा था। उनका यह कहना है कि अगर मैं चीफ

मिनिस्टर बन गया, फिर देखना यह डैम किस तेजी से बनता है। मैं हाउस से यह प्रार्थना करता हूं कि किसी तरह से इनको चीफ मिनिस्टर बना दे। .....

चौ. रणबीर सिंह: स्पीकर साहब, मैंने उनसे एक बात कही थी। चीफ मिनिस्टर बनने का सौभाग्य अभी तक बंसी लाल, राव वीरेन्द्र सिंह और चौ. चरण सिंह को ही प्रान्त हुआ है। अगर इस इलाके का चीफ मिनिस्टर बनने का मुझे सौभाग्य मिला तो फिर देखना, कितनी जल्दी यह डैम बनता है।

Sh. S.P. Jaiswal: Will the Hon. Chief Minister deny that the waters are apportioned to the various States in accordance with the international river water usage law or convention and that the State through which of the area through which the river or the water passes have priority for use of that river water over the areas where the water flows subsequently?

श्री बंसी लाल: स्पीकर साहब, जहाँ तक मैं समझता हूं, इसका कोई विशेष क्राइटेरिया नहीं हैं। यदि होता होगा तो मुझे पता नहीं है। लेकिन वन आफ दी क्राइटेरिया यह हो सकता है कि जिस इलाके में से जितना दरिया बहता हो उसको उतना कम या ज्यादा पानी मिले। जैसे मैंने आपसे अर्ज की है waters are national waters and national property इसलिये गवर्नमैंट आफ इंडिया को यह अख्तियार है कि वह किसी को कितना ही पानी

डिस्ट्रिब्यूट कर दे। किसाऊ डैम के बारे में इस बात का फैसला नहीं हो रहा है कि किस स्टेट को कितना पानी मिलेगा! .....

चौ. रणबीर सिंह: स्पीकर साहब, जो 'इन्डस वाटर ट्रीटी' हुई है उसके अन्दर तीन दरियाओं का पानी सम्बन्धित है यानी रावी, ब्यास और सतलुज का। न ब्यास, न सतलुज और न ही रावी, राजस्थान के कहीं नजदीक से गुजरती है लेकिन 15 मिलियन एकड़ फीट पानी में से 8 मिलियन एकड़ फुट अकेले राजस्थान को दिया गया और सात मिलियन एकड़ फुट पानी जो पहले से इस्तेमाल करते थे, उनको दिया गया। इंटर स्टेट गवर्नमैंट्स की सलाह पर यह फैसले होते हैं। मेरी प्रार्थना है कि हम एक दूसरे को दोष न दें। हम मिलकर इस बात की कोशिश करें कि हमको ज्यादा से ज्यादा हिस्सा मिले और जल्दी से जल्दी डैम बने। एक दूसरे को दोष देना न तो स्टेट के लिए अच्छी नीति है और न हमारे लिए।

श्री बंसी लाल: स्पीकर साहब, मैं आनरेबल मैम्बर पर व्यक्तिगत इल्जाम नहीं लगा रहा हूं। मैंने तो हकीकत बताई है और जैसा आनरेबल मैम्बर चाहते हैं, वैसा ही हम भी चाहते हैं कि स्टेट को ज्यादा से ज्यादा पानी मिले। हम सैन्ट्रल गवर्नमैंट से रिक्वैस्ट कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी इस डैम को बनाया जाए और हम आगे भी अपनी एफर्ट जारी रखेंगे।

चौ. अब्दुल रज्जाक खां: स्पीकर साहब, मैं आपको मारफत यह जानना चाहता हूं कि हमारे यहां राओली बांध और कामेड़ा बांध और लन्होडा नाले के पानी को राजस्थान सरकार अपनी सरहद पर बांध रोक रही है, क्या इसके बारे में सरकार से सलाह मशविरा किया गया है और इसी तरह से यू.पी. गवर्नमैंट अपने यहां बांध बनाकर बरसात के पानी को अपने यहां अपने से रोकने जा रही जिससे कि बरसात में हमारे यहां पानी इकट्ठा हो जाएगा। क्या यह हरियाणा सरकार के सलाह मशविरे से किया गया है और अगर नहीं तो सरकार इसके बारे में क्या कार्यवाही करने जा रही है?

श्री अध्यक्ष: यह तो सवाल ही दूसरा है।

चौ. रणबीर सिंह: स्पीकर साहब, 1963 में आज से लगभग आठ साल पहले इन्टर स्टेट कांफ्रेस इस पानी के बारे में हुई थी। मैं मुख्यमंत्री या सिचाई मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि उसके बाद कितनी कांफ्रेस इस सिलसिले में हुई जिनमें कि किसाऊ डैम का जिक्र आया हो?

श्री अध्यक्ष: यह बता चुके हैं, चार हुई हैं। इन्होंने बताया है कि एक साईट पर हुई है और तीन और हुई हैं।

Sh. Bansi Lal: Also we have been trying very constantly and even without meetings I have been seeing the Central Irrigation and Power Minister for a number of times in this connection.

चौ. रणबीर सिंह: तीन–चार कांफ्रेंसों में क्या फैसला हुआ क्या मुख्यमंत्री महोदय सदन को इस बारे में सूचना देंगे और उसकी कापी सदन में रखेंगे?

श्री बंसी लाल: कोई कापनी की बात तो इसमें है नहीं, पोजीशन यह है कि जैसे ही इन्वेस्टीगेशन हो जाए जल्दी ही उसका काम शुरू किया जाए और इन्वेस्टीगेशन जल्दी से जल्दी कम्पलीट की जाए। अभी तक यही प्रोग्रैस है।

चौ. रणबीर सिंह: स्पीकर साहब, जो भी कांफ्रेस होती है उसकी बाकायदा प्रोसीडिंग्ज होती हैं, मैं यह जानना चाहता हूं कि उन प्रोसीडिंग्ज में क्या है?

श्री बंसी लाल: स्पीकर साहब, हमारी स्टेट का चौ. रणबीर सिंह के टाईम जैसा हाच–पाच मामला नहीं है हमारी स्टेट तो बैस्ट एडमिनिस्टर्ड स्टेट है। मेरे पास उन कांफ्रेंसों की मिनट्स नहीं है अगर होती तो मैं उन्हें जरूर रख देता। But the real gist of it has already been stated on the floor of the House.

चौ. रणबीर सिंह: स्पीकर साहब, मैं तो इस तरह की बात नहीं करना चाहता। मैं यह मानता हूं कि हमारे प्रदेश की जितनी तरक्की बंसी लाल के वक्त में हुई है, इस एक इतिहास की बात है कि उतनी तरक्की देश में और हमारे प्रदेश में नहीं हुई। यह इन्कार करने वाली बात नहीं है (व्यवधान) (अपोजीशन की तरफ से आवाज: हर क्षेत्र में कहिए इनक्लुडिंग कुरप्शन)। जमुना

के पानी के बंटवारे का जहां तक सम्बन्ध है, इस सिलसिले में उसी कांफ्रेस में या दूसरी में एक जिक्र चला था कि जो नहर गुड़गांव जिले को पानी देती है और वह हमारे इलाके की नहर है और उसके ऊपर कंट्रोल करता हे उत्तर प्रदेश। मैं उस वक्त पंजाब सरकार में मंत्री था, मैंने कहा था कि यह नहर हमें दी जाए। इस पर बाकायदा–पत्र–व्यवहार हुआ था। मैं यह जानना चाहता हूं कि आगरा कैनाल जो हमारे इलाके में बहती है और गुड़गांव जिले को पानी सप्लाई करती है क्या उसका कन्ट्रोल हमें मिल गया है?

श्री अध्यक्ष: यह सवाल तो किसाऊ डैम के बारे में है।

श्री बंसी लाल: यह एक इम्पार्टेंट प्वायंट है। मैं इसका जवाब दे देता हूं। स्पीकर साहब, इस सम्बन्ध में हमारी यू.पी. गवर्नमैंट से काफी अर्से से बातचीत चल रही है। फाईनल स्टेज यह है कि यू.पी. गवर्नमैंट ने इस बात को मान लिया है कि आगरा कैनाल हरियाणा गवर्नमैंट को दे दी जाए। अब हमारा और उनका जो झगड़ा है वह कीमत के बारे में है। वह तो कहते हैं कि प्रेजेन्ट मार्किट वैल्यू दी जाए और हम कहते हैं कि बुक वेल्यू ली जाए। हमारी उनकी बातचीत चल रही है। अगली दफा जब दोनों मुख्यमंन्त्रियों की मीटिंग होगी तो उसमें यह फाइनल हो जाएगा।

श्री मंगल सैन: स्पीकर साहब, चौ. रणबीर सिंह की सप्लीमेंटरी के जवान में मुख्यमंत्री जी ने कहा कि जैसा घपला चौ.

रणबीर सिंह के वक्त में होता था ऐसा घपला अब नहीं होता। क्या मुख्यमंत्री जी उस घपले के बारे में जांच कराने के लिए तैयार हैं?

श्री बंसी लाल: ऐसा कोई घपला नहीं है जिसकी जांच करवाएं।

श्रीमती चन्द्रावती: मेरा सबमिशन है कि मुख्यमंत्री जी ने जो कहा कि चौ. रणबीर सिंह के वक्त में जो घपला था वह हमारे टाईम में नहीं है। यह बात काफी वजन रखती है। जब चौ. रणबीर सिंह, इरीगेशन मिनिस्टर थे उस वक्त सरदार प्रताप सिंह चीफ मिनिस्टर थे। मैं यह समझती हूं कि यह बात कहना मुख्यमंत्री को शोभा नहीं देता। उस वक्त भी कांग्रेस की सरकार थी। मेरा विचार है कि he does not mean what he said.

चौ. रणबीर सिंह: मैं पर्सनल एक्सप्लेनेशन देना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष: पर्सनल एक्सप्लेनेशन बाद मैं होगा।

श्री मंगल सैन: स्पीकर साहब, मुख्यमंत्री जी ने हाच–पांच शब्द कहे थे। मैं इस मामले में आपको गाइडेंस चाहता हूं कि चौ. रणबीर सिंह के सवाल का जो जवाब दिया गया उसका क्या मतलब समझा जाए?

Mr. Speaker: I don't think, he meant any reflection .....

Sh. Mangal Sein: He never said so.

Mr. Speaker: Let me make an observation. I am observing on Smt. Chandravati's submission. I don't think, he meant any reflection on the erstwhile Punjab Government. He probably mentioned about one department or something like that.

श्री बंसी लालः हकीकत यह थी कि चौ. रणबीर सिंह ने कहा था कि सैन्ट्रल गवर्नमैंट का काम जैसा है हमारे हरियाणा का नहीं है ant that was an aspersion on the Government. I simply replied उनके वक्त में होगा हमारे वक्त में नहीं।

श्री अध्यक्षः वर्ड था 'होगा'।

श्रीमती चन्द्रावतीः स्पीकर साहब, मरेा एक सबमिशन है कि चौ. रणबीर सिंह और मुख्यमंत्री की कन्ट्रोवर्सी में इतना समय हाउस का लग गया और भी दूसरे जरूरी सवाल हैं कहीं इनके डिस्कशन में वे रह न जाएं।

Mr. Speaker: Last supplementary.

श्री मंगल सैनः स्पीकर साहब, जो कुछ मैंने पूछा था वह तो हमारी स्टेट के बेनिफिट की बात थी। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि चौ. रणबीर सिंह के समय हाच–पाच से काम होता था और रणबीर सिंह जी को वह बात नागवार गुजरी। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि हमारे समय में ऐसा नहीं होता है, इसका क्या मतलब है?

श्री सत्य नारायण सिंगोल: स्पीकर साहब, मुख्यमंत्री जी ने अपने जवाब में यह बताया कि इस डैम की साइट की सलैक्शन के लिये यू.पी. गवर्नमैंट के इंजीनियर्ज की डयूटी है। यह डयूटी उस वक्त लगी थी जब इकट्ठा पंजाब था। यह हकीकत हे कि उस वक्त पंजाब गवर्नमैंट हरियाणा की तरफ इतना ध्यान नहीं देती थी इसलिये उन्होंने यू.पी. के इंजीनियर्ज के जिम्मे यह काम लगा दिया। आज जब कि हमारा एक अलग प्रदेश है तो क्या यह सरकार दोबारा कोशिश करेगी कि अपने इंजीनियर्ज की डयूटी लगाये?

श्री बंसी लाल: हमने कोशिश की मगर वह इस बात को माने नहीं।

Construction of Dams or Rivers Ghaggar-Tangri and Markanda

***1365. Sh. Daya Krishan**: Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state:-

(a) whether there is any scheme under consideration of the Government to construct any Dams on rivers Ghaggar, Tangri and Markanda;

(b) if so, by what date these schemes are likely to be completed and at what stage these schemes are at present;

(c) the total estimated cost of construction of these dams together with the benefit likely to be accrued therefrom;

(d) the loss which these rivers cause to the State during the rainy season; and

(e) whether by the construction of thse dams, this loss is likely to be eliminated and gain is likely to accrue to the State?

Irrigation and Power Minister (Sh. Ram Dhari Gaur):

(a) Yes

(b) Owing to heavy construction cost, the dam on river Ghaggar is in low priority while schemes for dams on Tangari and Markanda are under investigation stage.

(c) Estimated cost and benefits would be available after finalisation of the schemes. Ghaggar Dam was estimated to cost Rs. 32.00 crores in 1967.

(d) In the Ghaggar Dam Project report, loss from river Ghaggar and its tributaries including Markanda and Tangari was estimated Rs. 3 crores per year for Haryana areas.

(e) The construction of these dams will reduce the damage by floods, though, it will not be completely eliminated.

श्री दया कृष्ण: जैसे वजीर साहब ने अपने जवाब के पार्ट 'सी' में बताया कि 1967 में घग्घर पर डैम बनाने की कास्ट 32 करोड़ रूपये थी और यह भी बताया कि आये साल इस घग्घर से तीन करोड़ रूपये का नुक्सान हो जाता है इस नुक्सान से बचने के लिये डैम का बनाना लाभदायक होगा। क्या वजीर साहब, बताने की कृपा करेंगे कि यह इतना अच्छा डैम कब तक बन जायेगा?

श्री रामधारी गौड़: 1972–73 मैं हम इसको शुरू करेंगे। यह जो तीन करोड़ रूपये का आय साल नुक्सान बताया गया है यह एग्जैक्ट नहीं है वह तभी होता है जब फलड्ज आते हैं। जिस साल फलड नहीं आते उस साल कोई नुकसान नहीं होता। कुछ छोटी–छोटी स्कीमें हैं जिन पर कास्ट कम आती है और फायदा ज्यादा होता है जैसे बीबीपुर लेक की स्कीम है इसी तरह से और दो तीन बैरेजिज की स्कीमें हैं इनसे हमें बहुत फायदा होगा। जो घग्घर डैम है यह इंटर स्टेट है इसमें चंडीगढ़ का भी हिस्सा है, पंजाब और हरियाणा का भी हिस्सा है। इसमें कुछ समय लगेगा क्योंकि इसकी कास्ट ज्यादा है। इसलिये जो छोटी स्कीमें हैं उनको हम पहले कम्पलीट करना चाहते हैं।

चौ. दल सिंह: जैसे वजीर साहब ने फरमाया है कि जो छोटी–छोटी स्कीमें हैं उन पर थोड़ा खर्च आता है और ज्यादा फायदा होता है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या वजह है कि ये स्कीमें अभी तक कम्पलीट नहीं हुई हैं? इसके अलावा जो छोटे–छोटे नाले और नदियाँ हैं उनसे भारी नुक्सान होता है। क्या

वजह है कि हरियाणा सरकार ने उस नुक्सान से बचने के लिये कोई कार्यवाही नहीं की?

मुख्यमंत्री (श्री बंसी लाल): मैं चौ. दल सिंह से सहमत हूं कि छोटे–छोटे नाले और नदियों से प्रान्त का काफी नुक्सान होता है। इसके ऊपर अभी तक इसलिये काम शुरू नहीं हो सकता क्योंकि हम उनको इनवैस्टीगेट कर रहे हैं कि हर साल कि स टोरैन्ट में कितना पानी आता हे, किस जगह बांध बनना चाहिये आदि–आदि। जैसे ही इनवैस्टीगेशन हो जायेगी, सरकार काम शुरू करवा देगी।

चौ. रणबीर सिंह: क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि 1963 में जब घग्घर डैम की इनवैस्टीगेशन रिपोर्ट पेश हुई थी उस वक्त कितने खर्च का अन्दाजा था।

श्री रामधारी गौड़: यह इनफार्मेशन इस वक्त मेरे पास नहीं है।

चौ. रणबीर सिंह: ब्यास प्राजैक्ट के जनरल मैनेजर मिस्टर गिल की मारफत 1963 में इसकी इनवैस्टीगेशन हुई थी। मिस्टर गिल ने इसकी कास्ट मेरे ख्याल से कम से कम दो करोड़ और ज्यादा आठ करोड़ बताई थी (हंसी)

एक आवाज: दो करोड़ और 8 करोड़ का थोड़ा ही फर्क है?

चौ. रणबीर सिंह: यह आठ साल पुरानी बात है जो मैं बता रहा हूं यह तो इतना भी नहीं बता सकते (शोर) आपने तो 32 करोड़ बता दिया।

श्री बनारसी दास गुप्ता: सिंचाई मंत्री महोदया ने अभी छोटी–छोटी योजनाओं का जिक्र किया। इसके अलावा क्या यह बताने की कृपा करेंगे कि जो धग्धर, टांगरी और मारकंडा तीनों नदियां हैं इनको मिलाकर क्या कोई बांध बनाने की योजना है? अगर है तो इसकी साइट वगैरह की सलैक्शन और इनवैस्टीगेशन कब तक हो जाऐगी?

श्री रामधारी गौड़: यह योजना है और इसकी इनवैस्टीगेशन चल रही है।

श्री बंसी लाल: स्पीकर साहब, मैं चौ. रणबीर सिंह जी की बात का जवाब दे दूं। घग्घर डैम का दो करोड़ या आठ करोड़ का एस्टीमेट नहीं बना था बल्कि Previously the original cost of Ghaggar Dam was Rs. 25 crores to Rs. 27 crores.

चौ. रणबीर सिंह: यह सूचना आपकी गलत है।

Sh. Bansi Lal: I have just received a chit from the Officer concerned about this.

श्रीमती चन्द्रावती: जैसे मुख्यमंत्री जी ने बताया कि जो छोटे–छोटे बाँध हैं उनकी इनवैस्टीगेशन होनी है। क्या मैं यह जान सकती हूं कि इनवैस्टीगेशन कितने समय में हो जायेगी?

श्री रामधारी गौड़: बहुत जल्द काम शुरू हो जायेगा।

श्रीमती चन्द्रावती: मैं तो टाईम पूछ रही हूं कि एक साल में हो जायेगा या महीने में हो जायेगा .....।

श्री रामधारी गौड़: जल्दी से ऊपर तो कोई चीज हो ही नहीं सकती।

चौ. चांद राम: जैसे जवाब में बताया गया है कि धग्धर डैम का 1967 32 करोड़ रूपये का एस्टीमेट था। क्या सिंचाई मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेगे कि आज 1972 में इसका एस्टीमेंट कितना बढ़ गया है?

श्री रामधारी गौड़: लगभग 6–7 करोड़ रूपये बढ़ गया है।

चौ. लाल सिंह: अभी तीन–चार नदियों का जिक्र किया गया वे हैं टांगरी, मारकंडा और धग्धर। ये तीनों नदियों मेरे हल्के से गुजरती हैं। इस सरकार ने कुछ बांध बनाकर मेरे हल्के के 50–60 गांवों को बचाया है। मैं आपकी मारफत सरकार को कहना चाहता हूं कि जैसे आपने 50–60 गांवों को बचाया है इसी तरह अगर घग्घर पर डैम बनाया जाये तो मेरे इलाके के और गांव भी बच जायेंगे। क्योंकि सारी नदियां मेरे हल्के नारायणगढ़ से गुजरती हैं इसलिये मैं सरकार से फिर रिक्वैस्ट करूंगा कि यह डैम बहुत जल्दी बनाया जाये। और जहां–जहां ये छोटे–छोटे नदियां नाले नुक्सान करते हैं इनका इन्तजाम भी जल्दी किया जाये।

श्री रामधारी गौड़: इसकी इनवैस्टीगेशन हो रही है। मैं हाऊस को यकीन दिलाता हूं कि जितनी नदियां नाले नुक्सान करते हैं इनवैस्टीगेशन हो जाने पर हम उनका पूरा–पूरा इन्तजाम करेंगें और फिर हरियाणा का कोई नुक्सान नहीं होगा।

डा. मलिक चन्द गम्भीर: मंत्री महोदय ने जवाब में कहा है कि हम तीन नदियों को मिलाकर डैम बनाने की सोच रहे हैं। क्या मंत्री महोयद बताने का कष्ट करेंगे कि वह कब तक बन जायेगा?

श्री बंसी लाल: अम्बाला जिला शिवालिक पहाडियों की तलहटी में है इसमें मारकंडा, टांगरी और धग्धर यह जो तीन रिवर बताये गये हैं यही नहीं हैं, और भी बहुत से टोरैंटस हैं। तो अधिकारियों को करना क्या पड़ता है कि जिस तरह से एक सदस्य ने पूछा कि इसकी मयाद छः महीने होगी, चार महीने होगी या क्या होगी यह सरकार बताए। सरकार के सामने स्पीकर साहब प्रैकटीकल डिफिकलरी है और वह यह है कि हर टौरैंट के लिए यह देखना जरूरी होता है कि उसमें कितना–कितना पानी आता है। बारिश स्पीकर साहब हर साल बेरी करती है। ईअर टू ईअर उनके ऊपर इन्वैस्टीगेशन के लिये गेज लगाते हैं और देखते हे। कि एक पर्टीकुलर सीजन में कितना पानी इस टोरैंट में आया और कितना पानी दूसरे टोरैंट में आया और फिर एक साल का अन्दाजा कुछ हुआ और दूसरे का कुछ हुआ। कुछ ऐसे टोरैंटस हैं जिनमें कई सालों से पानी नहीं आया। मिसाल के तौर पर

मारकण्डा जो है उसमें कई सालों से पानी नहीं आया। इसलिए जब यह डिपार्टमैंट इनवैस्टीगेशन कम्पलीट कर लेगा तो फिर उसके बदा ही फैसला कर पाएगा कि किस जगह पर कितनी टोरैंटस का डैम बनाना है, या हर टोरैट का अलग–अलग डैम बनाना है। इसलिए यह एक ईअर का सवाल नहीं है।

Mr. Speaker: Question Hour is over please.

10.30 A.M.

चौ. चांद राम: स्पीकर साहब आपने एक मेरा सवाल पोस्टपोन किया था और कहा था कि 18 तारीख को उसका जवाब आ जाएगा। वह एस.एस.बोर्ड. के बारे में था और कुछ हरिजनों की रिक्रूटमैंट के बारे में था। वह आज की लिस्ट में नहीं आया।

श्री अध्यक्ष: उसका आप नम्बर तो बता दें।

चौ. चांद राम: जो 11 तारीख का सैशन था उसमें पहले नम्बर पर ही वह सवाल था।

श्री अध्यक्ष: आप नम्बर क्यों नहीं बता देते।

चौ. चांद राम: वह लिस्ट इस वक्त मेरे पास नहीं है।

POINT OF ORDER

Re-the Change in the Order of the House

Sh. S.P. Jaiswal: On the Point of Order, Sir, Mr. Speaker, Sir, in the programme that has been circulated for to-day, the order of the programme .....(Interruptions)

Mr. Speaker: What is your Point of Order?

Sh. S.P. Jaiswal: Can the Hon. Speaker interfere in the order of this House and change it without permission from this House. Sir, the programme was formulated as recommended by the Advisory Committee, on 10th January, 1972?

Sir, there is an Advisory Committee the functions of which have been detailed by Rule 35 which says that the Advisory Committee will re-commend to this House the programme it makes for the business of the House. Then, Sir, there is Rule 37 by which the Hose adopts the Report if it decides to do so and the recommendation then becomes the order of this House. Then, Sir, no alteration can be amde in the order of the House by the Hon. Speaker. There is no power provided anywhere in the Rules.

I would submit, Sir, that under Rule 39 of the Rules of Procedure, a variation can be made in the time order if the Hon. Leader of the House requests the House to do so. I would submit, Sir, that even the Leader of the House has not been given the power according to these Rules.

Mr. Speaker: I think you are taking too long time Mr. Jaiswal.

Sh. S.P. Jaiswal: May I clarify the point?

Mr. Speaker: I am quite clear.

Sh. S.P. Jaiswal: If you permit me ....

Mr. Speaker: I am quite clear.

Sh. S.P. Jaiswal: I have hardly even put my point. So, just one second. Mr. Speaker, Sir, this Rule 39 says that a variation can be made if the Chief Minister, the Leader of the House requests for doing that and that only with regard to time allocation and not with regard to the order of the programme in which the business has been put. I would, therefore, submit that no alteration can be made in the order of the House either by the Hon. Speaker or the Leader of the House as a matter fo request to this House.

Mr. Speaker: First of all I will mention how it has happened. You know yesterday meeting of the Advisory Committee was held at 4. P.M. and it was unanimously agreed by the Committee that variation may be made. Then even this was discussed whether there is any necessity for this thing to be brought befor the House and the Advisory Committee thought there was hardly any necessity for that. But if the Hon. Member wishes we can put it right now.

Sh. S.P. Jaiswal: I would draw your attention to Rule 36 which lays down that the recommendation of the Advisory Committee must be put to this House and adopted as an order of this House. The Advisory Committee is in no position to say that a certaiin matter need not be brought before the House.

Mr. Speaker: We can do it now. It is a simple matter.

Chief Minister (Sh. Bansi Lal): Mr. Speaker, under Rule 39 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Punjab Legislative Assembly as applicable to the Haryana Legislative Assembly, I request for the variation in the allocation of the time order and notify to the House that there was a general agreement at the meeting of the Business Advisory Committee held on 17th January, 1972 for the inclusion of the item "Official Resoulution" regarding the ratification of the Constitution (Twenty-fifth Amendment) Bill 1971 in the List of Business for the first sitting of the Assembly to be held on the 18th January, 1972, after the item "Discussion and Voting on the Demands for Supplementary Grants."

Further in the List of Business for the Second sitting of the Assembly to be held on the 18th January, 1972, after the item "III. Legislative Business – The Haryana Appropriation (No. 2) Bill, 1972." the Private Members' Resolution regarding grant of subsidy to the colleges in the rural areas of the State, be taken up.

Mr. Speaker: Let me make an observation. Actually we had also kept this ready in case some Hon. Member raises this point of Order.

Sh. S.P. Jaiswal: Sir, you will read Rule 38, which says –

"38. At the appointed hour, in accordance with the allocation of Time Order for the completiion of a particular stage of a Bill, the Speaker shall forthwith put every question...."

and it is clear from this, that the change can be made in the allocation of time. It does not relate to the change in the order of the programme. What the Hon. Leader of the House is authorised under Rule 39 is to request for change in the time allocation for a sepecific item but not for change in the programme. Change in the programme can only come as a matter of recommendation from the Advisory Committee and then the House can decide to alter its previous order which is mentioned in Rules 37. Actually then and then alone can any variation or change be made in the programme and no request under Rule 39 in this respect is necessary.

चौ. चांद राम: यह तो बिजनैस एडवाईजरी कमेटी की कल की रिकमैंडेशन है उसी से ही हो सकता है।

Mr. Speaker: In any case the House is supreme and it can conduct its business as it likes.

Sh. S.P. Jaiswal: The Rules ar framed by the House's direction.

Mr. Speaker: It can also make variation where it likes. We can suspend that Rule.

Sh. S.P. Jaiswal: Let the Rule be suspended. As long as the Rule is there and it has not been suspended we cannot adopt that procedure.

Mr. Speaker: What are we achieving out of it? Now I would take the sense of the House. But I have mentioined what was decided in the Business Advisory Committee and it was a unanimous decision. It is a simple thing that one

official resolution, because of the convenience of the Hon. Members, has been brought in the first sitting and one more resolution, that is, a Private Member's resolution has been included iin the Programme for the second sitting to facilities certain members to bring out certain important points before the House. These are minor changes and these were agreed to unanimously by the Business Advisory Committee. I would like to take the sense of the House and, I am sure, the House has no objection to these changes. (Interruptions)

Sh. S.P Jaiswal: There is a regular procedure laid down in the Rules according to which there should be a regular motion for the adoption of the Report of the Business Advisory Committee before it becomes the Order of the House.....

Mr. Speaker: Could be; but it is a too small change....

Sh. S.P. Jaiswal: According to the Rules there has to be a regular motion before the House, otherwise it cannot become the Order of the House.....(Interruptions)

Sh. Bansi Lal: Sir, Rule 39 is very clear. It says "No variation in the Allocation of Time order shall be made ....." इसमें टाईम और आर्डर दोनौं चीजें आ गई।

Sh. S.P. Jaiswal: Sir, the Order of the House is a different thing.... (Interruptions)

(At this stage some Members rose to speak)

Sh. S.P. Jaiswal: May I clarify.

Mr. Speaker: Ch. Jai Singh Rathi.

चौ. जय सिंह राठी: स्पीकर साहब, इस सारी बात का हल यह नहीं कि लीडर आफ दि हाउस कोई भी किसी किस्म की मशाीने दे दें इसका सबसे बढ़िया हल यह है कि आप बिजनैस ऐडवाइजरी कमेटी की रिपोर्ट हाउस के सामने रख दें और उसके मुताबिक जो चेज होगी वह पास हो जायेगी।

Mr. Speaker: I know that. But I thought that it was such a simple and small matter and then it was unanimously agreed to by the Business Advisory Committee. Except that we have lost some time, we have gained nothing outof it. (Interruptions)

Would you like to move the motion?

श्री बंसी लाल: हम दोनों बातों के लिये तैयार हैं।

Mr. Speaker: Hon. Members, the Hon. Member has quite rightly raised this point. Normally, I agree that the Report of the Business Advisory Committee should be approved by the House. But I again submit that the alterations/variations were so small and minor and of no consequence and there was unanimity in the Business Advisory Committee. Any way, I present the Report of the Business Advisory Committee recommending these changes.

PRESENTATION OF THE REPORT OF THE BUSINESS ADVISORY COMMITTEE

Mr. Speaker: The Committee met at 4.00 p.m. on Monday, the 16th January, 1972 in the Chamber of the Speaker.

The Committee, after some discussion, decided that on Tuesday, the 18th January, 1972, there shall be two sittings and the business be transacted as follows :-

1st sitting (9.30 A.M.)	1.	Question Hour.
	2.	Presentation of Fourth Report of the Committee on Estimates.
	3.	Discussion and Voting on Suspplementary Estimates (Second Instalment) 1971-72.
	4.	Official Resolution regarding the ratification of the Constitution (Twenty-fifth Amendment) Bill, 1971.

2nd sitting (2.00 P.M.):	1.	Motion under rule 15 regarding Non-stop sitting.
	2.	Motion under rule 16 regarding Sine-die.
	3.	Appropriation Bill on Supplementary Estimates (Second Instalment 1971-72.
	4.	The following Private Members' Resolution given notice of by-
(i) Ch. Ranbir Singh		"This Assembly recommends to the State Government grant subsidy to the Colleges set up or being set up in the rural areas of the State at least on the pattern of Delhi Administration."
(ii) Sh. Satram Dass Batra.		
(iii) Ch. Raj Signh Dalal.		
(iv) Sh. Daya Krishan.		
(v) Ch. Chanda Singh		
(vi) Ch. Ishwar		

Singh		
(vii) Sh. Joginder Singh		
	5.	Official Resolution regarding profound joy on the magnificent victory of our country in the recent war with Parkistan and the emergence of Bangla Desh as a Sovereign Democratic Republic.

I would now request the Finance Minister to move the motion.

Finance Minister (Smt. Om Prabha Jain): Sir, I beg to move –

That the Business of the Business Advisory Committee, as recommended by it yesterday be taken into consideration.

Ch. Chand Ram: Sir, it should be the Report of the Business Advisory Committee and not the business of the Business Advisory Committee. स्पीकर साहब, यह बात टेप–रिकार्ड भी होती है और लिखी भी जाती है इसलिये गलत क्यों लिखा जाये।

Smt. Om Prabha Jain: All right, I say, the Report of the Business Advisory Committee.

इस रिपोर्ट के अनुसार आज इस पहली सिटिंग में डिस्कशन एंड वोटिंग आन सप्लीमैंटरी एस्टिमेट्स के बाद कांस्टीयूशनल अमैंडमैंट के बारे में आफीशल रैजोल्यूशन टेक आप किया जायेगा। बाद दोपहर जो दूसरी सिटिंग होगी उसमें पहले एप्रोप्रियेशन बिल होगा, उसके बाद नान आफिशल रैजोल्यूशन आयेगा और फिर बंगला देश वाला रैजोल्यूशन टेकअप किया जायेगा। तो मैं हाउस से निवेदन करना चाहती हूं कि यह जो इस प्रकार बिजनैस ऐडवाइजारी कमेटी की रिपोर्ट है इसे पास कर दिया जाये।

Mr. Speaker: Motion moved:-

That this House agrees with the recommendations contained in the Report of the Business Advisory Committee.

Mr. Speaker: Question is -

That this House agrees with the recommendations contained in the Report of the Business Advisory Committee.

The motion was carried.

Ch. Jai Singh Rathi: I want to make a submission. Sir, we should follow the procedure laid down in the Rules. It is not a question of losing time. Our achievement should be according to certain procedure .....(Interruptions)

Mr. Speaker: But you have seen it yourself that for nothing we have lost so much time. There was a unanimous decisions of the Business Advisory Committee and the House should have honoured it. Ater all your leaders were there in the meeting.....

Ch. Jai Singh Rathi: You should honour the Rules and Regulations of the House and there shall have been a regular motion .....

Mr. Speaker: I fully agree. But after all we have to keep the sanctity of the Business Advisory Committee .....

चौ. जय सिंह राठी: वह अगर गैर कानूनी बात मान लें तो क्या हम भी मान लें that the Report should not be presented to the House .....

Mr. Speaker: If you remember, I had asked if from Ch. Dal Singh but it was thought that there was no necessity of it.

चौ. दल सिंह: यह फजूल की जिद है, फजूल में टाइम खोया है और बात कुछ भी नहीं है।

Sh. S.P. Jaiswal: Ch. Dal Singh is the leader of the Congress (O). He cannot bind down all the members.....

Mr Speaker: Your raising the point is absolutely correct (interruptions).

Sh. S.P. Jaiswal: The procedure of the House must be adhered to, no matter how shall the thing is. It was the Order of this House in which alternation was being made

either by the Speaker or by the Business Advisory Committee behind the back of the House. How could it be allowed?

Mr. Speaker: Let me explain this once again. It is absolutely within the right of the Hon. Member, Mr. Jaiswal, to have raised this Point of Order. It is a good Point of Order. But, after I had explained that it was done with the unanimous opinion of the Business Advisory Committee, I think, the matter should have ended. When the leaders of various parties/groups meet in the Business Advisory Committee and take certain decisions, I take it that you all agree to it.....

Sh. S.P. Jaiswal: I am an independent Member and Ch. Dal Singh is the Leader of Congress (O). He has no right to commit on my behalf.

Mr. Speaker: There was a unamious decision about these small changes. Moreover, this was also discussed whether there was any necessity for this thing to be brought before the House but it was felt that it was too small a matter and there was hardly any necessity for that. But, I don't think, it was wrong on your part to raise this point. You were absolutely correct.

Sh. S.P. Jaiswal: Thank you.

चौ. जय सिंह राठी: और कोई कंट्रोवर्सी की बात नहीं थी। सारी चीज शुरू यू हुई कि आपने कह दिया कि हमें मालूम था कि यह प्वायंट आफ आर्डर आ जायेगा और हमने रूल 39 के

अंडर मोशन तैयार कर ली थी। आपने जब वह कह दिया तब सारी कंट्रोवर्सी शुरू हुई।

चौ. दल सिंह: स्पीकर साहब, जब आपने हाउस की सैंस ले ली तो अब ज्यादा बहस इस पर नहीं होनी चाहिये और टाईम जाया नहीं होना चाहिये।

OBSERVATIONS MADE BY THE SPEAKER- RE THE REFUSAL OF THE GOVERNMENT TO REPLY TO QUESTIONS PERTAINING TO MORE THAN ONE DEPARTMENT.

Mr. Speaker: I want to make an observation regarding Postponed Starred Questions. In this case, it pertains to question No. 1349 and the Minister concerned is the Public Works Minister. I want to bring to his notice that the question was received here on the 31st and was setn to the department on 4th and it was replied on the 13th. But extension was asked for till 20th and agreed to 18th.....

Chief Minister (Sh. Bansi Lal): When it was received on 4th, it could not come for 18th because fifteen days clear notice is required before it is placed on the list of questions.....स्पीकर साहब, क्या क्वैश्चन आवर अभी शुरू है?

Mr. Speaker: This is after the Question Hour. The notice was received on the 31st and it was sent to the Department on 4th January. Then a request was made for extension of time for reply saying that the information is being gathered. Later. on I received a letter from the Secretary of

that ministry saying, 'No. This requires fresh notice'. Firstly, my request is that the reply to my D.O. letter should have been given by the Minister himself so that such variatiios and other things do not take place. Besides when a certain thing has been said, fresh complications should not arise. I think the question will be replied as has been mentioned by me.

Sh. Bansi Lal: No, Sir, I will make my observation on this point. My submission is that this question relates to two or three departments. It a separate notice is given, Government will consider this. If the Vidhan Sabha Secretariat accepts one question regarding two or three departments, none of the Ministers will reply to that. This is very clear.

Mr. Speaker: I will mention for the information of the Leader of the House and other Hon. Members. The Minister has said 'the answer to Haryana Vidhan Sabha Starred Assembly Question No. 1349 to be asked by Smt. Chandravati, M.L.A. at the meeting of the Haryana Vidhan Sabha to be held on the 13th January, 1972, is not ready. The requisite information is still awaited from the Chief Engineer, Haryana, P.W.D. B&R/other departments who have been requested to expedite reply. I have made a request separately in this Office U.O. No. 85-AQ-PWIV(1)-72, dated the 12th January, 1972 that this question may be included in the list of questions for any date after the 20th January, 1972.

Sh. Bansi Lal: The Government can change its reply. Because when new things come to the notice of the Hon. Minister that this thing does not belong to his Department only; it belongs to two or three departments. For this separate notices are required.

Mr. Speaker: He has not mentioned that.

Sh. Bansi Lal: He may not have mentioned to it earlier. But when this came to my notice that one question relates to three Departments then three Ministers will not reply.

श्रीमती चन्द्रावती: स्पीकर साहब, मेरी सबमिशन यह है कि अलबता इसमें दूसरे डिपार्टमैंट्स भी आते हैं तो भी इस क्वैशचन से मिनिस्टरी का कंसर्न है।

श्री बंसी लाल: लेकिन अगल नोटिस चाहिए।

श्रीमती चन्द्रावती: स्पीकर साहब, क्योंकि एक जगह बहुत ज्यादा रूपया खर्च कर दिया है इसलिए सवाल को टालना चाहते हैं, कोई जवाब नहीं देना चाहते। अगर जवाब देना ही नहीं चाहते तो दूसरी बात है, लेकिन मैं समझती हूं कि सवाल का जवाब आना .....(व्यवधान)

श्री बंसी लाल: स्पीकर साहब, यह बे–बुनियाद इल्जाम है। रूपया सब जगह, सारे हरियाणा में खर्च हुआ है। लेकिन अगर ये चाहे कि गलत ढंग से जवाब ले लें और एक मिनिस्टर से चार चार मिनिस्ट्रीज के जवाब मांगें तो हम नहीं देंगे ऐसे जवाब।

श्री मंगल सैन: आन ए प्वायंट आफ आर्डर, सर।

Mr. Speaker: Let me clarify. There may be some difficulty. But as far as I can see there is no such thing regarding this question, which is about –

"(a) the total amount spent on the construction of Government buildings only in district Hisar during the last three years together with the total amount spent thereon at Hisar, Bhiwani, Loharu and Tosham, separately...."

I thought the buildings were constrcuted by one agency and not by different Departments.

Sh. Bansi Lal: Three different agencies, i.e., P.W.D., Irrigation & Power Department and University.

Ch. Jai Singh Rathi: This relates to the P.W.D. Minister. He should answer.

श्रीमती चन्द्रावती: स्पीकर साहब, आप देखिए, जैसा कि मुख्यमंत्री जी ने फरमाया है कि गलत और बेबुनियाद ढंग से जवाब देते हैं, यह बात तब कह सकते थे अगर मेरे सवाल का जवाब देते। मैं आपके द्वारा मुख्यमंत्री जी ने जानना चाहती हूं कि तीन–चार डिपार्टमैंट्स यानी कई डिपार्टमेंट्स की रोडस और बिल्डिंगज को पी.डब्ल्यू.डी. बनाता है। जैसे मान लीजिए इरीगेशन डिपार्टमैंट है .....(व्यवधान)

श्री बंसी लाल: यह गलत बात है, हर डिपार्टमैंट की बिल्डिंगज को पी.डब्ल्यू.डी. नहीं बनाता।

श्रीमती चन्द्रावती: स्पीकर साहब, मुख्यमंत्री जी यह नहीं कह सकते कि हम सवाल का जवाब नहीं दैंगे।

श्री बंसी लाल: प्रौपर सवाल होगा तो जवाब देंगे, अगर गलत सवाल होगा तो हम जवाब किस तरह देंगे।

श्रीमती चन्द्रावती: आन ए प्वायंट आफ आर्डर, सर।

श्री अध्यक्ष: डा. मंगल सैन बहुत देर से प्वायंट आफ आर्डर पर खड़े हैं। अच्छा आप अपना प्वायंट आफ आर्डर कम्पलीट कर लीजिए।

श्रीमती चन्द्रावती: मेरा प्वायंट आफ आर्डर यह है कि सवाल प्रोपर है या नहीं हे, यह बात आपके सैक्रेटेरियट के देखने की है, अगर हमारा सवाल प्रोपर न होता तो एडमिट ही न हुआ होता। प्रौपर है, रैलेवैंसी है, इसीलिए एडमिट हुआ है।

Mr. Speaker: My answer is that there are two ways. There may be questions which pertain to the Government or say the Chief Minister which may require information from several departments. For that naturally there is a Central Secretariat under the charge of Chief Secretary. On the other hand, if it is convenient to the Government to have replies pertaining to one Ministry only then atleast I see no reason to any objection in sending questions in that manner so that replies are received quickly and correctly. So this is the issue that we can decide in this House. I don't mind. It can be done both ways.

श्री बंसी लाल: स्पीकर साहब हम रोज देखते हैं और मेरा यह तजुर्बा है कि आपके सैक्रटेरिएट में जो क्वैश्चन एडमिट

होते हैं उनमें कई क्वैश्चर दो–दो, तीन–तीन मिनिस्ट्री के एडमिट हो जाते है। ठीक है आपकी तरफ से बात आ गई, रूलिंग आ गई कि हम एडमिट करते हैं। अगर आप एक सवाल तीन मिनिस्ट्रीज का एडमिट कर लें तो गवर्नमैंट को भी कुछ राइटस हैं। आपने तो अपने राइट्स को एक्सरसाईज कर लिया, इसी तरह से गवर्नमैंट ने भी अपने राईट को एक्सरसाईज कर लिया है।

Mr. Speaker: Let me explain something. I am quite convinced and would quote you the rules. I am directing my Secretariat ..... In the Centre there are a number of questions which are put involving more than five or six Ministries. There is a Cabinet Secretariat. They collect the information and they they answer. Now if you want to allow that as we have agreed, we will follow the Lok Sabha pattern to that also, I have no objection .... (Noise)

श्री बंसी लाल: हमको अलग अलग भेज दिया करो।

Mr. Speaker: Let me make it more clear .....

श्री बंसी लाल: स्पीकर साहब, हम एक सवाल में एक ही मिनिस्टरी का जवाब देंगे, चार मिनिस्ट्रीज का जवाब एक सवाल में नहीं देंगे।

चौ. चांद राम: आन ए प्वायंट आफ आर्डर, सर।

चौ. जय सिंह राठी: आन ए प्वांयट आफ आर्डर, सर। (व्यवधान)

श्री बंसी लाल: क्वैश्चन का जवाब ढंग से देंगे।

चौ. रणबीर सिंह: जवाब तो बहुत बढ़िया है .....

श्री बंसी लाल: जवाब बढ़िया है, मगर क्वैश्चर का जवाब तो ढंग से ही देंगे न .....(व्यवधान)।

Mr. Speaker: Let me explain something, Now this is a question that should be considered by all, everyone here. (Interruption & Noise) Now I know it for a fact that there are number of questions which will always involve more than one Ministry/may be in some cases, two, three or four particularly in policy matters. Questions are admitted in Lok Sabha involving serveral Ministries and answers are given.

श्री बंसी लाल: जनाब, पालिसी मैटर पर तो सवाल पूछा ही नहीं जाता।

Mr. Speaker: Questions are asked in Lok Sabha involving several Ministries and answers are given. If it is desire of the Leader of the House that we should have questions only pertaining to only one Ministry, if that is possible, we will go into this and we will get it examined. In fact I will refer this matter to the sub-Committee of this House if necessary, to arrive at something which is correct and which will help members and which may also help the Government. We have no rigid stand on this.

श्री मंगल सैन: स्पीकर साहब, मैं इस मामले पर आपकी रूलिंग चाहता हूं। इस समय जो रूल्ज एग्जिस्ट करते हैं उनके

मुताबिक हम विधानसभा को सवाल लिखकर देते हैं और एग्जामिन करके एडमिट करते हैं। एडमिट करके आप गवर्नमैंट को भेजते हैं कि फलां सवाल का जवाब दिया जाए। गवर्नमैंट का जवाब आता है कि हमको और टाईम दिया जाए, हम इसका जवाब तैयार नहीं कर सकते। फिर थोड़ी देर के बाद कह देते हैं कि हम इसका जवाब नहीं देंगे क्योकि यह सवाल ज्यादा डिपार्टमैंट्स से कंसर्न्ज है। मुख्यमंत्री जी ने जो रिजिड एटीच्युड अडौप्ट किया है कि हम जवाब नहीं देंगे, यह ठीक नहीं, क्योंकि जवाब लेना हमारा हक है। स्पीकर साहब हम समझते हैं कि चेयर की रूलिंग को चैलेंज करना चेयर के डिसीजन को वायोलेट करना ठीक नहीं है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस चीज का नोटिस लेंगे और हमें गाईड करेंगे। जो रूल्ज एग्जिस्ट करते हैं उनके मुताबिक आपने सवाल एडमिट कर लिया। मोर ओवर आपने ठीक फरमाया कि लोक सभा की गाईडेंस पर चलना चाहते है। मैं महसूस करता हूं कि जब मुख्यमंत्री जी को लोकसभा की प्रैक्टिस मुआफिक आती है, सूट करती है तो अडौप्ट कर लेते हैं लेकिन जब मुआफिक नहीं आती तो नहीं करते। यहां भी लोक सभा की प्रैक्टिस को फौलो करना चाहिए था। मेरा आपसे निवेदन है कि इस बात का जरूर नोटिस लिया जाए।

Mr. Speaker: I have observed that we will go into this matter thoroughly and we will try to do something which will help the Hon. Members as well as the Government. We do not want to take a rigid stand on it.

11.00 A.M.

श्रीमती चन्द्रावती: जनाब, मैं अर्ज करना चाहती हूं कि मुख्यमंत्री जी यह सलाह दे दें कि इस सवाल को वे ब्रेक–अप करेंगे। अगर वे अपनी सलाह में इस सवाल को अच्छी तरह ब्रेक–अपन करने की विधि बता देंगे तो मैं सवाल उस तरह से पूछ लूंगी।

श्री बनारसी दास गुप्ता: अध्यक्ष महोदय, मेरी एक सबमिशन है। .....(व्यवधान)

श्रीमती चन्द्रावती: बनारसी दास जी, मैं अपने सवाल का जवाब आपसे नहीं चाहती।

श्री बनारसी दास गुप्ता: मैं तो सबमिशन कर रहा हूं, जवाब नहीं दे रहा हूं।

श्री मंगल सैन: इन्होंने टिकट ले ही लेना है।

श्री बनारसी दास गुप्ता: वह हमारे थरू ही मिलेगा लेकिन आपको क्या चिन्ता है डाक्टर साहब?

श्री बंसी लाल: स्पीकर साहब, डाक्टर साहब को बड़ी चिंता लगी हुई है, लेकिन किस चीज की है यह हमें समझ नहीं आता?

श्री मंगल सैन: स्पीकर साहब, मुझे चिंता जरूर है। मैं चाहता हूं कि बहिन जी जरूर आएं ताकि इनकी खबर तो ले सकें हाउस में।

श्री अध्यक्ष: इनकी खबर लेने के लिए तो आप ही काफी हैं।

श्री अध्यक्ष: इनकी खबर लेने के लिए तो आप ही काफी हैं।

श्री मंगल सैन: स्पीकर साहब, कोई सहयोगी भी तो चाहिये। (व्यवधान)

श्री बनारसी दास: डाक्टर साहब की चिन्ता को मैं समझता हूं। (शोर एवं व्यवधान)

* * * *

* * * *

* * * *

श्री बंसी लाल: अब पता लगा कि ये 'गोत' पर चुनाव लड़ी हैं, सिद्धान्त पर नहीं (शोर)

* * * *

* * * *

* * * *

Mr. Speaker: We expunge that matter from the proceedings.

चौ. दल सिंहः स्पीकर साहब, हाउस के अन्दर इस तरह की बातें करना कि आपको बनने देंगे, आपको नहीं बनने देंगे क्या रूल्ज के अनुसार अलाउड हैं?

Mr. Speaker: I am afraid, Mr. Gupta, you raised an irrelevant point.

Sh. Bansi Lal: Was the point raised by the Hon. Lady Member corrent?

Mr. Speaker: No. but he started it.

श्री बंसी लालः मेरे गोत के गांव है, मेरा फलां है, मेरा वह है और मेरा यह है, इन चीजों के ऊपर हमारी कांग्रेस पार्टी मैं तो इलैक्शन लड़ा नहीं जाता (शोर)

श्रीमती चन्द्रावतीः मेरा वहां घर है। हम वहां के बाशिन्दे हैं। कांग्रेस पार्टी के ऊपर मेरा ज्यादा हक है बनिस्बत उनके जो 20 बार डिफैक्ट हुए हैं। (शोर)

Mr. Speaker: We have had enough of it. Order please.

श्री बनारसी दास गुप्ताः स्पीकर साहब, मैं केवल यह कहना चाहता हूं कि जिस जिले के बारे में ये फिगर्ज पूछी गई है, उसके बारे में पूछने की उनकी इंटैन्शन यह है कि जिला हिसार में ज्यादा खर्च किया गया।

*Expunged as ordered by the Chair.

Smt. Chandrawati: He is starting wrong, Sir.

श्री बंसी लाल: इन्होंने कहा कि जिला हिसार में ज्यादा खर्च किया गया ..... (शोर)

श्री बनारसी दास गुप्ता: हम पार्टी में रह कर इनकी तरह सैबोटेज नहीं कर रहे हैं। (शोर) इनकी तरफ हम कभी अपोजीशन के पास या कांग्रेस वालों के पास यह कहने के लिए नहीं गए कि सरकार को तोड़ो। (व्यवधान एवं शोर)

श्रीमती चन्द्रावती: स्पीकर साहब, मुख्यमंत्री जी चाहे कुछ भी कहें, मैं प्रौवोक नहीं होती। इन्दिरा गांधी जी हमारी लीडर हैं और मैं किसी की दया की पात्र नहीं हूं। मैं तो इतना ही कहना चाहती हूं कि हमारी प्रधान मंत्री जी अगर मुझे टिकट देंगी तो मैं चुनाव लडूंगी नहीं तो एक डिसिप्लिन्ड सिपाही की तरह रहूंगी जैसी कि मैं हमेशा रही हूं। .....(व्यवधान)

श्री बंसी लाल: उसी तरह से न जिस तरह से लोकसभा के चुनाव में अपोजीशन पार्टीज की मदद की थी। (विघ्न एवं शोर)

Mr. Speaker: These are private matters.

Sh. S.P. Jaiswal: Mr. Speaker, when the House is out of control, you might consider the desirability of adjourning it and let them settle it in the lobbies.

श्री मंगल सैन: स्पीकर साहब, मैं आपकी रूलिंग चाहता हूं। क्या इस औगस्ट हाउस में कोई मैम्बर उठकर किसी मैम्बर को, खासतौर पर लेड़ी मैम्बर को यह कह सकता है कि आप दो बार वहां से हार गई, हिसार जिले ने आपको पनाह दी, शरण दी? फिर स्पीकर साहब उन्होंने बहुत आपे से बाहर होकर यह भी कहा कि लोकसभा के चुनाव में वे अपोजीशन वालों को मदद देती रहीं। तो स्पीकर साहब मैं इस सम्बन्ध में आपकी रूलिंग चाहता हूं कि इस तरह की बातें करके जो इन्होंने यहां मछली मार्किट का सीन क्रिएट किया क्या यह प्रौपर है? (विघ्न)

Mr. Speaker: I am sorry, there are certain Rules of Procedure, and certain extraneous matters came in between. They should not have been brought in.

Sh. S.P. Jaiswal: Mr. Speaker, Sir, I have raised a Point of Order that the manner in which the House was functioning, it needs adjournment. You may consider to adjourn the House so that they may settel it outside. There are powers with you given by the Rules of Procedure.

चौ. चांद राम: स्पीकर साहब, मेरी एक सबमिशन है। मेरे 1390 नम्बर सवाल का क्या हुआ? वह 13 जनवरी का था। आज यह लास्ट मींटिग है और आपने कहा भी था कि 18 तारीख को आ जाएगा। वह बड़ा इम्पोंटैन्ट सवाल है।

श्री अध्यक्ष: इन्क्वायरी करके अभी बता देते हैं।

चौ. चांद राम: बहुत अच्छा जी।

CALL ATTENTION NOTICE

Mr. Speaker: Notice of Call Attention Motion No. 11 given by Sh. Fateh Chand Vij, M.L.A., concerning the prevalent dis-satisfaction in the public on account of non-issue of receipts in respect of donations made to the Defence Fund and the publication by the Government of the details of amount collected district-wise together with the name of the collecting agency is admitted.

The Hon. Member may read his motion.

श्री फतेह चन्द विज (पानीपत): मैं इस ध्यान आकर्षण प्रस्ताव द्वारा प्रदेश सरकार का ध्यान इस बहुत महत्वपूर्ण विषय की ओर दिलाना चाहता हूं कि पाकिस्तान के आक्रमण से लेकर आज तक जो धन रक्षा कोष के लिए इकट्ठा किया जा रहा है उसकी रसीदें धन देने वालों को नहीं दी जा रहीं इस कारण जनता में काफी असन्तोष फैला हुआ है कि जिस पवित्र उदेश्य को लेकर वह धन दिया जा रहा है कहीं वह इकट्ठा करने वाले इसमें घपला न कर लें। सरकार को इस जनता में फैल रही बेचैनी को दूर करने के लिए इकट्ठा किए गए धन का पूरा ब्यौरा जिलेवार जिसमें कौलेक्टिंग एजेंसी का नाम भी हो प्रकाशित करना चाहिए ताकि जनता इस पवित्र कार्य में बढ़ चढ़ कर भाग लेती रहे और असन्तोष दूर हो।

Chief Minister (Sh. Bansi Lal): In order to promote the defence efforts of the country and to provide for the

welfare of the Armed Forces personnel, Police, Home Guards and Civil Defence Organisation and their families, an appeal was made to the public to contribute to the Haryana Defence and Security Relief Fund most generously. The Deputy Commissioners have been supplied with Receipt Books for the collection of the fund. The contributions are received by the Deputy Commissioners or Sub-Divisional Officers or by officials duly authorised by them not below the rank of Naib-Tehsildar. A printed receipt indicating the amount both in words and figures is issued for each contribution at the very time, the contribution is received. The Deputy Commissioners have been asked to maintain a proper account of the blank and used Receipt Books in a Register which should be produced for audit when required; and also to ensure that all money collected for the fund is properly accounted for by the collecting agencies. However, if any specific instances are brought to the notice of Gvoernment in which money has been misappropriated by any of the collecting agencies, they will be enquired carefully and urgently and severe action will be taken against defaulters.

2. Complete information regarding total collections made towards this fund in each district has not been received from the Deputy Commissioners so far as collections are still being made. As soon as this information is available it will be placed before the House.

चौ. चांद राम: स्पीकर साहब, मेरी एक सबमिशन है कि टीचर्ज स्कूलों में कुलैक्शन कर रहे हैं। उसका इसमें कोई जिक्र नहीं किया गया। नायब–तहसीलदारों का जरूर जिक्र किया गया

है। अभी पिछले दिनों डिप्टी मिनिस्टर श्री जसवन्त सिंह चौहान अपने गांव में गये थे वहां पर पैसा इक्ट्ठा हुआ, अब उसकी रसीदें दी गयीं या नहीं दी गयीं, मुझे इसके बारे में कुछ पता नहीं। इसलिए जहां पर इस प्रकार से पैसा इकट्ठा किया जा रहा है वहां पर लोगों को रसीदें मिलनी चाहिए।

श्री बंसी लाल: आन ए वांयट आफ आर्डर सर–स्पीकर साहब काल एटैन्शन मोशन पर तो कोई डिस्कशन नहीं हो सकती।

श्री अध्यक्ष: बताया गया है कि छपेगी।

चौ. दल सिंह: स्पीकर साहब मेरी सबमिशन है पिछली बार सन् 1962 में जब रक्षा कोष के लिए धन इकट्ठा हुआ था तो एक रक्षा कोष ग्रन्थ छपा था। अगर इस बार भी सरकार की नियत साफ है तो कोई ऐसा ही रक्षा कोष ग्रन्थ छापा जाये जिसमें हरेक आदमी का नाम हो। (विघ्न)

Mr. Speaker: It will be received from the Deputy Commissioners and put before the House.

चौ. दल सिंह: स्पीकर साहब सारी पब्लिक को पता लगना चाहिए।

Mr. Speaker: Naturally it will be a public document.

चौ. दल सिंह: इससे ठीक अन्दाजा हो सकेगा कि कहां से धन आया, किससे नहीं आया।

श्री अध्यक्ष: उन्होंने कहा है कि पब्लिश करेंगे।

चौ. चांद राम: इसमें पब्लिसिटी का जिक्र नहीं है।

श्री फतेह चन्द विज: स्पीकर साहब सारी कुलैक्शन का पता लगाना चाहिए, और पब्लिक के अन्दर पब्लिश होना चाहिए।

Mr. Speaker: It has been heard and a reply has been given. They have said that they will place the document in the House.

श्री फतेहचन्द विज: स्पीकर साहब मैं चीफ मिनिस्टर साहब की इत्तलाह के लिए यह बताना चाहता हूं कि जनता से रूपया इकट्ठा हो रहा है। कलैक्टिंग एजेन्सी एक सफेद कागज रखती हैं और उस पर पैसा देने वाले का नाम लिख लेती है।

Mr. Speaker: That you may consider if you want .....

श्री बंसी लाल: मैं यह कुछ नहीं सुनना चाहता।

चौ. चांद राम: स्पीकर साहब सन् 1965 में जो कलैक्शन हुई थी वह एक किताब की शक्ल में छपायी गयी थी। इसी तरह से यह भी किताब की शक्ल में छपाई जानी चाहिए।

श्री अध्यक्ष: यह सजैशन तो पहले ही दे दी गयी है।

QUESTION OF PRIVILEGE

Re-The publication of a news item in the 'Hindustan Times"

Mr. Speaker: Hon. Members, I have received notice of a question of breach of privilege by Ch. Dal Singh, M.L.A. to the effect that a news item had appeared in the 'Hindustan Times' dated 17th January, 1972, to the effect –

> "two Ministers and more than thirty officers of the Haryana Government, participated in a function on the occasion of inauguration of a Bar in the Moughal Garden at Pinjore. They talked of the good old days and emptied their glasses hastily lest some one should see them and say 'so you are over here".

According to Rule 269 of our Rules of Procedure and Conduct of Business, it has been laid down "if the question raised is based on a document, the notice shall be accompanied by the document." Further Rule 270(iii) enjoins that "the matter requires the intervention of the Assembly." In view of this, you will kindly appreciate that not only the Member has not appended to his notice, a cutting of the news-item but he has also failed to make out a case for the intervention of the Assembly.

According to well established partiamentary practice and procedure, the term 'breach of privilege' is applied to contempts generally. It is, however, properly applicable only to that type of contempt which consists in the violation or disregard of the privileges of the House or the individual Members thereof. Contempt of the House may be defined generally as 'any act or omission which obstructs or impedes

either House of Parliament in the performance of its functions, or which obstructs or impedes any Member or Officer of such House in the discharge of his duty, or which has a tendency, directly or indirectly, to produce such results ..... even though there is no precedent of the offence.' From the Notice no case of any obstruction or impeding of any Member as an individual or the House as a whole is apparent.

In view of the above, since no case of breach of privilege of the Member/Members of the House as a whole has been made out, I refuse to give my consent to this question of privilege.

चौ. दल सिंह: स्पीकर साहब मेरी एक सबमिशन है जिसका खास मुद्दा है। एक न्यूज आईटम शाया हुआ और वह 'हिन्दुंस्तान टाइम्ज' अखबार में शाया हुआ जो कि बहुत अच्छी खबर देना वाला अखबार हैं। इस अखबार को आम एजूकेटिड तबका पढ़ता है। अगर उसमें किसी मिनिस्टर के बारे में कोई न्यूज छपी है तो उसके कारण का पता लगना चाहिए। अगर प्रैस रीप्रेजेन्टेटिव ने गलत बात छापी है तो मैं यह नोटिस में लाना चाहता था। अगर कोई दूसरे लोग गलती करें तो और बात है परन्तु कांग्रेस सरकार के लोग ही गलती करें तो कोई अच्छी बात नहीं क्योंकि पूज्य महात्मा गांधी जी ने कहा था – Alcohal ruins a man mentally, physically and economically.

Mr. Speaker: Ch. Sahib, I have given the ruling.

चौ. दल सिंह: दो बार तो यह खोल चुके हैं और तीसरा खोलने जा रहे हैं।

Mr. Speaker: You can say it later in the debate. I have given my ruling.

RESOLUTION RE-LACK OF CONFIDENCE IN THE DEPUTY SPEAKER

Mr. Speaker: Hon. Members I have received Notice of a Resolution to the effect "That this house has lack of confidence in the Deputy Speaker" by Sh. Satya Narain Syngol, Dr. Mangal Sein, Ch. Hardwari Lal, Sh. S.P. Jaiswal And 15 ohter M.L.As.

Hon. Members will kindly agree that the Constitution of India provides only one remedy for the removal of the Deputy Speaker as enshrined in Article 179(c) by giving notice of a Resolution. Further more it has been provided that no resolution to this effect shall be moved unless atleast fourteen days, notice has been given of the intention to move the resolution. In this case the Members will appreciate that here neither the removal has been sought nor the necessary period prescribed for the purpose has been kept in view. Moreover, while observing on a point of order regarding the addmissibility of the resolution for the removal of Mr. Speaker Mavalankar the then Deputy Speaker of the Lok Sabha observed –

> "Unless there are specific charges which could be met and of which due notice has been given, this resolution is clearly out of order".

Besides it has also been provided that "when special provisions have been made regarding such resolutions as distinct from the general provisions relating to resolutions the special provisions are to be applied."

In view of the above, I disallow this notice and rule it out of order.

Sh. S.P. Jaiswal: On a point of Order, Sir ....

वित्तमंत्री (श्रीती ओम प्रभा जैन): स्पीकर साहब, हमें बड़ा अफसोस है कि अपोजीशन के साथियों ने मोहतरमा डिप्टी स्पीकर के .....(विघ्न)

Sh. S.P. Jaiswal: Sir, mine is a point of Order and it has precedence over other things.

Mr. Speaker: Yes.

Sh. S.P. Jaiswal: Sir, I would submit with all due respect to the Chair that the question of admission of such a motion does not arise. This is a motion of no confidence whether against the Speaker or the Deputy Speaker and it has to be put on the list of Business of the House. I would, Sir, draw your attention to Article 179(c) of the Constitution according to which it is a power vested in the Members by the Constitution to give notice for having lack of confidence in the Speaker or the Deputy Speaker or removal thereof. Whether the resolution is badly drafted, whether the resolution is asking for removal is a matter that will be considered at the time when the matter comes up for decision of the House. I would submit that the reference that you have made has a

absolutely no bearing on the present question. Mr. Mavlankar's decision in this case. I would submit, with all the emphasis at my command, is not correct. if you observe the Parliamentary Practice and Procedure it says. "The notice may be given by two or more members jointly. On receipt of a notice a motion for leave to move the resolution is entered in the List of Business in the name of the Members concerned on a day after fourteen days from the date of the receipt of the resolution." Sir, the only power with the Speaker in this case is to place the notice on the list of Business, no further and no more and they only restriction that is placed by the Constitution is that the day so fixed has to be fourteen days hence. The question of admission of notice does not arise. Then, Sir, I would go a step further. We have Rules here, the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Punjab Legislative Assembly. Rule 11 says that in case a notice is given, the Speaker will ask the members who are in favour of leave being granted to rise in their seats and not less than 23 members will have to rise to give the necessary leave. This Rule, Sir. is in conflict with the provision of the Constitution nad therefore, is a bad rule. Teh Constitutional provision in this case is Article 208 which says that a House of the Legislature of a State may make Rules for regulating, subject to the provisions of this Constitution, its procedure and the conduct of its Busiess. But these have to be in consonace with the Constitution.

This is the power given by the Constitution that a notice can be moved by a single Member not by necessarily a specific majority and the only procedure laid down is that it is to be placed before the House. If you, decided to disallow the

motion it will tantamount to taking away the rights of the Members of this House given by the Constitution.

श्रीमती ओम प्रभा जैन: स्पीकर साहब, इसके लीगल आस्पैक्ट के बारे में तो आपकी रूलिंग आयेगी लेकिन मैं हाउस में इस बात की चर्चा करना चाहूंगी कि यह बहुत गलत प्रैक्टिस डाल रहे हैं। डिप्टी स्पीकर साहिबा का कन्डक्ट निहायत ही शानदार रहा है .....

Ch. Chand Ram: Are we discussing the motion, Sir?

Mr. Speaker: No.

Ch. Chand Ram: She says, this motion should not have been moved.

Smt. Om Prabha Jain: I am not saying that. (Noise) It has cast aspersions on the Deputy Speaker.....(Noise and Interruptions)

चौ. जय सिंह राठी: इनका कुछ कहने का क्या हक है?

Smt. Om Prabha Jain: I was only making submisison.... (Noise and Interruptions)

चौ. जय सिंह राठी: स्पीकर साहब, सबमिशन नहीं ये तो उनको डिफैन्स दे रही है।

गृहमंत्री (श्री के.एल. पोसवाल): फिर आपको क्या परेशानी है?

चौ. जय सिंह राठी: फिर तो डिबेट शुरू हो जायेगी।

Smt. Om Prabha Jain: I crave for the indulgence of the House that in accordance with the parliamentary decency that resolution should not be brought against the Deputy Speaker. I will request them to withdraw it.

Sh. S.P. Jaiswal: Sir, the remark of the Hon. Finance Minister is against the provision of the Constitution. When the Constitution gives us the right to move such a motion, she cannot say that the Opposition should not have moved the no confidence motion.

Ch. Jai Singh Rathi: This is a reflection on the Constitution.

Smt. Om Prabha Jain: I am not saying anything about the constitutional provisions. For that I would say, the Speaker is the best authority.

One Voice: You have requested the Opposition to withdraw the motion.

चौ. चांद राम: मैं आपसे एक बात जानना चाहता हूं। पार्लियामैट्री अफेयर्ज मिनिस्टर, जो 15 साल से हाउस की मैम्बर हैं, ने यह कहा है कि मैं अपोजीशन से दरख्वास्त करूंगी कि वह मोशन को विदड्रा कर लें। Is there any motion which can be withdrawn by the Oppostion?

Mr. Speaker: It has been disallowed. Now the Secretary will make an announcement.

Sh. S.P. Jaiswal: I had raised a point of order. I want your ruling on that.

Mr. Speaker: I will give my ruling. You may discuss it with me. I will go into the matter again. I have to refer to those points. The ruling cannot be given instantly. It requires reconsideration and re-examination.

Sh. S.P. Jaiswal: Will you give the ruling after that?

Mr. Speaker: Certainly. I will give my ruling on what you have said.

ANNOUNCEMENT BY THE SECRETARY

Mr. Speaker: Now the Secretary will make an announcement.

Secretary: Sir, I beg to lay on the Table of the House the letter deated the 20th December, 1971, received from the Council of States regarding the ratification of the Constitution (Twenty-fifth Amendment) Bill, 1971, and a copy each of the Constitution (Twenty-fifth Amendment) Bill, 1971, as introduced in the House of people and as passed by both the Houses of Parliament and the proceedings of the Parliament thereon.

PERSONAL EXPLANATION

By Ch. Ranbir Singh

चौ. रणबीर सिंह (किलोई): परसनल एक्सपलेनेशन, सर। अध्यक्ष महोदय, जैसे मुख्यमंत्री जी ने कहा है, मैंने हरियाणा

सरकार के या केन्द्रीय सरकार के काम की टीका टिप्पणी नहीं की है। मैंने सिर्फ इतना ही कहा था कि इनके और केन्द्रीय सरकार के काम में कुछ फर्क है। वाकई कुछ न कुछ फर्क अवश्य होगा क्योंकि केन्द्रीय सरकार इतनी बड़ी सरकार है और उसके मुकाबले में हमारी सरकार बहुत छोटी सरकार है। दोनों सरकारों को चला रही है। स्पीकर साहब, जिस वक्त मैं मंत्री था, उस वक्त के बारे में, उन्होंने घपले की बात कही है। इस सम्बन्ध में मैं तो केवल इतना ही निवेनद करना चाहता हूं कि इनके ज्ञान में फर्क है। सरदार प्रतार सिंह कैरों, डा. गोपी चन्द भार्गव, कामरेड राम किशन और उसके साथ ही पंडित भगवत दयाल शर्मा के टाईम में, इसके बारे में कभी सदन में यह बात नहीं उठाई गई कि वहाँ कहीं घपला है। सरदार प्रताप सिंह कैरों के मंत्रि–मंडल के वक्त ऐसी ही एक मांग हुई थी और हमारे मुख्यमंत्री जी ने बड़े हौसले से इस बात को कहा था कि मैं इसकी जाँच कराने के लिये तैयार हूं (इस समय सभापतियों की सूची में से एक सदस्य चौ. राज सिंह दलाल पदासीन हुए) उस सरकार में 51 फीसदी से ज्यादा रूपया उस मंत्रालय में खर्च होता था जिसमें मैं मंत्री था। दास रिपोर्ट इस बात की साक्षी है। किसी सरकार के कामकाज की जाँच कराने के लिये आज तक इतीन बड़ी माँग नहीं हुई जितनी सरदार प्रताप सिंह कैरों के खिलाफ हुई थी। सभापति जी, जहाँ तक मेरे मंत्रालय का सम्बन्ध था, उसके बारे में दास कमीशन ने कहीं कोई जिक्र नहीं किया। दास कमीशन की रिपोर्ट इस बात की साक्षी है कि जो बात यहाँ कही गयी है, वह सत्य नहीं है। मैं

किसी और के बारे में कुछ नहीं कहूंगा क्योंकि यहाँ पर और बहुत से भाई कहने वाले हैं। लेकिन एक बात सत्य है जिसे मैंने आज सवेरे भी कहा था किसाऊ डैम पर काम 8 साल से भी शुरू नहीं हुआ है। यह भी सत्य है कि गुडगांव की नहर, ''आगरा कैनाल'' जो गुड़गांव में बहती है और जिसका आबियाना रोहतक के मुकाबले में, हर फसल का दुगना है, को आज तक भी 8 साल हो गये पंजाब सरकार यानी हरियाणा सरकार अपने कब्जें में नहीं ले सकी है।

श्री बंसी लाल: आन ए प्वायंट आफ आर्डर, सर। आनरेबल मैंबर, स्पीच दे रहे हैं या खाली परसनल एक्सपलेनेशन दे रहे हैं?

श्री सभापति: परसनल एक्सपलेनेशन दे रहे हैं। चौधरी साहब, अब आप इसे जल्दी खत्म कर दें। दो मिनट और ले लें।

चौ. रणबीर सिंह: सभापति जी, मैं तो इसे एक ही मिनट में खत्म कर देना चाहता हूं। मैं तो इतनी बात कहता हूं कि कामरेड राम किशन मंत्र–मंडल की सरकार के वक्त में मैं तोशाम के अन्दर पानी की एक योजना शुरू करके आया था, वह मुख्यमंत्री जी का हल्का है, उसके बारे में मुझे, कुछ शिकायत हो तो बता दें यहाँ हाउस में भी कहने की आवश्यकता नहीं है, अगर आगे पीछे भी कह देंगे तो भी जो सजा आप देंगे वह कबूल करने के लिये तैया हूं। मैं समझता हूं कि जो ''घपले'' के शब्द को प्रयोग किया

गया है, शायद मुख्यमंत्री जी का वैसा मंशा भी नहीं था और वह जोश में आकर कह गये हों।

श्री बंसी लाल: चेयरमैंन साहब, मुझे यह ध्यान भी नहीं है कि मैंने ''घपले'' का शब्द भी कहा हैं। आनरेबल मैम्बर जब सप्लीमैंटरी पूछ रहे थे तो (शोर) मेरा कहने का मतलब यह था कि मैंने जब उनसे यह कहा कि सैंट्रल गवर्नमैंट ने .....(विघ्न)

चौ. चांद राम: स्पीच का तो मतलब ही नहीं है।

श्री बंसी लाल: परसनल एक्सप्लेनेशन पर! उन्होंने पहला ही सप्लीमैट्री यह कहकर पूछना शुरू किया कि जैसा दिल्ली की सरकार का काम है, वैसा हमारी सरकार का कहाँ है। वह इस तरह से हमारी सरकार पर रिफलैक्शन कास्ट कर रहे थे। मैंने उसका जवाब दे दिया।

चौ. रणबीर सिंह: मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा।

PRESENTATION OF REPORT

Chairman, Estimates Committee (Sh. Amir Chand Kakar): Sir, I beg to present the Fourth Report of the Estimates Committee on the Budget Estimates for the year 1971-72.

SUPPLEMENTARY ESTIMATES (SECOND INSTALMENT) 1971-72

1. Discussion on the Estimates of the expenditure charged on the revenues of the state.

Mr. Chairman: If any Hon. Member wants to raise discussion, on the charged items, he may do so.

2. Discussion and voting of the demands for Supplementary Grants.

Mr. Chairman: According to the previous practice and in order to save time of the House all the Demands for Grants appearing on the Order Paper will be deemed to have been read and moved together. The Hon. Members can raise discussion on the Demands but while speaking they will have to indicate the Demand No. on which they want to raise discussion. Guillotine will be applied one hour before the hour of interruption.

I would also suggest that to enable maximum number of Members to praticipate in this discussion those Members who have already taken part in the discussion on Governor's Address or the Budget for 1972-73 may not try to catch my eye today. This will help others to participate.

That a supplementary sum not exceeding Rs. 39,520 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 1972, in respect of 9-Land Revenue.

That a supplementary sum not exceeding Rs. 12,27,680 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 1972, in respect of 18-Parliament, State/Union Territory Legislatures.

That a supplementary sum not exceeding Rs. 23,91,690 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 1972, in respect of 19-General Administration.

That a supplementary sum not exceeding Rs. 14,63,080 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 1972, in respect of 22-Jails.

That a supplementary sum not exceeding Rs. 16,30,570 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 1972, in respect of 23-Police.

That a supplementary sum not exceeding Rs. 16,46,340 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 1972, in respect of 26-Miscellaneous Departments.

That a supplementary sum not exceeding Rs. 20,00,000 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 1972, in respect of 28-Education.

That a supplementary sum not exceeding Rs. 10 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 1972, in respect of 31-Agriculture.

That a supplementary sum not exceeding Rs. 75,000 be granted to the Governor to defray the charges that will

come in the course of payment for the year ending 31st March, 1972, in respect of 35-Industires.

That a supplementary sum not exceeding Rs. 3,45,900 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 1972, in respect of 37-Community Development Projects, National Extension Service and Local Development Works.

That a supplementary sum not exceeding Rs. 20 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 1972, in respect of 39-Miscellaneous, Social and Development Organisations.

That a supplementary sum not exceeding Rs. 1,49,29,650 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 1972, in respect of 9-Land Revenue.

That a supplementary sum not exceeding Rs. 10 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 1972, in respect of 57-Roads and water Transport Schemes.

That a supplementary sum not exceeding Rs. 38,50,500 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 1972, in respect of 9-La

That a supplementary sum not exceeding Rs. 150 be granted to the Governor to defray the charges that will come in

the course of payment for the year ending 31st March, 1972, in respect of 67-Privey Purses and Allowances of Indian Rulers.

That a supplementary sum not exceeding Rs. 20,71,130 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 1972, in respect of 68-Stationary and Printing.

That a supplementary sum not exceeding Rs. 3,15.000 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 1972, in respect of 70-Forests.

That a supplementary sum not exceeding Rs. 48,10,350 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 1972, in respect of 71-Miscellaneous.

That a supplementary sum not exceeding Rs. 12,00,000 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 1972, in respect of 95-Capital Outlay on Schemes of Agriculture Improvement and Research.

That a supplementary sum not exceeding Rs. 54,62,450 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 1972, in respect of 96-Capital Outlay on Industrial and Economic Development.

That a supplementary sum not exceeding Rs. 63,13,950 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year ending

31st March, 1972, in respect of 99-Capital Outlay on Irrigation, Navigation,Embankment and Drainage Works (Commercial).

That a supplementary sum not exceeding Rs. 4,01,05,000 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 1972, in respect of 103-Capital Outlay on Public Works.

That a supplementary sum not exceeding Rs. 6,00,000 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 1972, in respect of 109-Capital Outlay on other Works.

That a supplementary sum not exceeding Rs. 32,12,000 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 1972, in respect of 114-Capital Outlay on Road and Water Transport Schemes.

That a supplementary sum not exceeding Rs. 10 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 1972, in respect of Loan to Local Funds-Private Parties.

(इस समय श्री मंगल सेन, चो. चांद राम और चौ. रणबीर सिंह बोलने के लिए खड़े हुए)

श्री सभापति: चौ. चांद राम जी आप बोले।

चौ. रणबीर सिंह: चेयरमैन साहब, जितने भी सदस्य खड़े हुए हैं उनमें मैं ही एक ऐसा मैम्बर हूं जोकि किसी बिल पर नहीं बोला। स्पीकर साहब ने भी वायदा किया था कि मुझे टाईम दिया जायेगा।

श्री सभापति: आपको भी टाईम मिलेगा।

चौ. चांद राम (बबैन): चेयरमैन साहब, मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने मुझे बोलने का टाईम दिया है। आज हम यहां सैकिन्ड इंस्टालमेंट आफर सप्लीमैंटरी एसटीमेंट्स की डिमांडज को डिस्कम कर रहे हैं और जो 59 करोड़ रूप्ये के करीब यह डिमान्डज हमारे सामने हैं, मेरे ख्याल में यह अनप्रैसिडैन्टिड है, बेमिसाल हैं कि एक लैजिस्लेचर में मेन बजट तो 200 करोड़ रूपए का हो और सप्लीमैंटरी अस्टीमेंट्स की डिमांडज मेन बजट का एक चौथाई हिस्सा हो। पहली इनस्टालमेंट में भी काफी पैसा था और इस सैकिन्ड इंस्टालमेंट में भी बहुत पैसा मांगा गया है। मैं समझता हूं कि हमारी फाईनेन्शल हिस्टरी में ओर सटेट के एडमिनिस्ट्रेशन की हिस्टरी में यह गैर–मामूली बात है। अस्टीमेंअ कमेटी ने कुछ आबजर्वेशन की हैं, मैं उनमें नहीं जाना चाहता। चेयरमैन साहब, मैं यह देखता हूं कि इन 3–4 साल में गवर्नमेंट का जो फंक्शन रहा है और खासकर हमारी पार्लियामैंटरी डेमोक्रेसी में तो एक मौकरी बन गया है, मजाक बन गया है। हरियाणा ने कई मामलों के अन्दर नेकनामी कमाई हैं चेयरमैन साहब, पौने चार साल में कितने दिन होते हैं, लेकिन

हमारे यहां असैम्बली की सिटिंग केवल 54 हुई हैं। हम लोगों को यहां इसलिए चुनकर भेजा जाता है कि हमउ न लोगों की प्रोबलम्ज यहां रखें, उनकी तकलीफों के बारे डिस्कशन करें, अपोजीशन के मैम्बरों को गवर्नमैंट के लूपहोल्ज बताने का मौका मिले, वे कुछ सजेशन दे सकें और रूलिंग पार्टी के मैम्बर भी कुछ सजेशन दें ताकि स्टेट का बैलेंस्ड डिवैल्पमेंट हो सकें। यह लोग सोशलिज्म की बात करते हैं। चेयरमैन साहब, सोशलिज्म तब आता है जब स्टेट के सारे इलाके जो अन्डर डिवैलप्ड हैं उनको बजट में इक्वल डिस्ट्रीब्युशन हो और बराबर का पैसा उन पर खर्च किया जाए। लेकिन यहां भी हम देखते हैं कि हिसार को ज्यादा तरजीद दी जाती है। अभी दस–बारह दिन हुए, खुद चीफ मिनिस्टर अपने हल्के में गए और एक दिन में चौबीस गांवों में फिरकर आए और उन्होंने कहा कि मैंने सारा हरियाणा का पैसा एक हल्के पर लुटा दिया है अब मुझे इलैक्शन के दिनों में कुछ भी कहने के लिए आने की जरूरत नहीं होगी। यह हमारे चीफ मिनिस्टर कहते हैं। चेयरमैन साहब, इस सरकार ने पालिटीशयंज को कुरप्ट करने में कोई कसर नहीं रखी है। मैं आपको ट्रिब्यूट पे करता हूं कि आपको कई बार तकलीफ भी आई, चीफ मिनिस्टर को कुछ गुस्सा भी आया लेकिन आप अपने इरादे से बज नहीं हुए, आप फर्म रहे, आनेस्ट रहे। हो सकता था शायद यह गवर्नमैंट गिर जाती। चेयरमैन साहब मैं डिफेक्शंज की बात कर रहा हूं। यहां पर 62 डिफेक्शंन हुए हैं।

वित्तमंत्री (श्रीमती ओमप्रभा जैन): चेयरमैन साहब यह बजट पर बोल चुके हैं सप्लीमेंटरी अस्टीमेंट्स पर अगर यह न बोलें तो ठीक रहेगा क्योंकि जो कुछ भी यह बोल रहे हैं वह सप्लीमेंटरी अस्टीमेंट्स में नहीं है।

चौ. चांद राम: चेयरमैन साहब, मैं सप्लीमेंटरी अस्टीमेट की डिमांडज पर बोल रहा हूं। जनरल एडमिनिस्ट्रेशन से सम्बन्धित जो डिमांड नम्बर नौ है उसी विषय में बोल रहा हूं। मैं हरियाणा में हाइएस्ट कुरप्शन की बात कह रहा था। 125 एम.पीज. ने भी इस कुरप्शन के बारे में लिखकर दिया है। चेयरमैन साहब, इन पौने चार सालों में हरियाणा में गुस्ताखी की तरक्की हुई है, घमंड की तरक्की हुई है, एडमिनिस्ट्रेशन का मिसयूज करने में तरक्की हुई है, कुरप्शन में तरक्की हुई। हमारे यहां जितने आफीसर्ज हैं, चाहे वे आई.ए.एस. है, आई.सी.एस. है एच.सी.एस. हैं, इनका जितनी क्विक्ली ट्रांसफर होते हैं उतनी दूसरी जगह नहीं होते। इस काम में भी यह स्टेट नम्बर एक पर है। मास्टरों के साथ जो कुछ इस सरकार ने किया है उसकी तो कोई हद ही नहीं हैं पंजाब में भी अकाली दल ने मास्टरों का ट्रांसफर किया था लेकिन वहां पर कांग्रेस पार्टी कहती है कि यह ट्रांसफर गलत हैं। मैं मानता हूं कि इसमें कुछ पोलीटिक्स हो लेकिन पंजाब के राज्यपाल ने अकाली पार्टी के फैसले को कैन्सिल कर दिया। कई बार एक दो मैम्बरों ने इस बात का एतराज किया कि टीचर्ज को तबदील नहीं किया जाना चाहिए, उनको घर के नजदीक रखना चाहिए।

आखिर ये नेशन बिल्डर्ज हैं। आज उनके अन्दर बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन है, वे बहुत असंतुष्ट हैं। इसी कारण से हरियाणा के अन्दर एजुकेशन का भट्ठा बैठ गया है क्योंकि जब मास्टरों के अन्दर असंतोष है तो वह असंतोष मुख्यमंत्री पर निकलने के बजाए स्टूडेंट्स पर निकल रहा है। वे पढ़ाने में कोई दिलचस्पी नहीं लेते। इस सप्लीमेंटरी डिमांडज के अन्दर कुरूक्षेत्र यूनिवर्सिटी के बारे में जिक्र आया है। पहले भी इस यूनिवर्सिटी को बीस लाख रूपया दिया गया था और चालीस लाख अब मांग रहे हैं। इसमें यह लिखा हुआ है – "Kurukshetra University is the only University in Haryana for Post-Graduate Education....." लेकिन वहां उन यूनिवर्सिटी में हो क्या रहा है। वहां पर लड़कों को हैरास किया जा रहा है। वहां पर छह हजार लड़के स्ट्राइक पर हैं। वहाँ पर पुलिस कैम्पास में बैठी हुई है लेकिन यह ग्रान्ट मांग रहे हैं फार दी डिवैल्पमेंट आफ यूनिसर्सिटी। क्या आज तक वहां कोई वजीर गया है और उसने लड़कों से पूछा है कि भई तुमको क्या तकलीफ है। इन्होंने तो वहां डंडे वाले बिठा दिए हैं, उनको होस्टलों में पुलिस है। बीस लड़कां के वारन्ट निकाल दिए हैं, आठ लड़कों को गिरफ्तार किया जा चुका है (घंटी की आवाज) मैं तो पन्द्रह मिनट बोलूंगा। चेयरमैन साहब, आप अन्दाजा लगाइये कि कुरूक्षेत्र युनिवर्सिटी में जो हमारे स्टूडैंटस हैं उनको चैलेंज किया जा रहा है कि तुमहो मार दिया जायेगा। मैं सरकार से उम्मीद करता हूं कि ये इस बारे में कुछ सोचेगी। आज पुलिस को ही हर जगह भेजा जाता है, अगर पुलिस से ही इन्होंने काम लेना

है तो दूसरे अफसरों को बिठाने की क्या जरूरत है। इस स्टेटमें एक दर्जन लड़कियों के साथ रेप किया गया और 4–5 लड़कियों को तो मार दिया गया। झज्जर तहसील के अन्दर एक 10 वर्षीय लड़की के साथ जब जना किया गया है। (अपोजीशन बैंचिज की तरफ से शेमशेम की आवाज) अगर कोई लड़की खेत में काम कर रही हो और कोई जाकर उसकी इज्जत लूट ले तो यह कहां का ला–एंड–आर्डर है? इनके जिले के जो एस.पी. थे उसको इसलिये वहां से ट्रांसफर किया गया कि उसने यह कह दियाकि मैं कलप्रिटस को गिरफ्तार करूंगा। आज कोई डी.सी. कोई पुलिस कप्तान हरिजन नहीं है। ये कहते हैं 9 आई.ए.एस. अफसर हरिजन हैं। इन्होंने उनके रिकार्ड में लाल स्याही से एन्टरी करके सबको नालायक बना दिया है। एक पुलि कप्तान की रिपोर्ट में लिख दिया गया कि यह इस काम के काबिल नहीं है। यह इसलिये लिखा गया क्योंकि आई.जी. का कोई रिश्तेदार था उसको पुलिस कप्तान बनाना हैं। चेयरमैन साहब, हरिजनों के बारे में मैंने कई बार पूरा कि एस.एस.एस. बोर्ड से कितने हरिजन क्लर्क लिये और कितनी उनके लिये पोस्टें रिजर्व थीं। लेकिन कोई सूचना नहीं दी जा रही। एस.एस.एस. बोर्ड के तीन मैम्बर हैं जिनमें एक हरिजन मैम्बर भी है। क्लर्क और मास्टरों की पोस्टों के लिये 16 हरिजन लड़के आये लेकिन उनको लिया नहीं गया। मैं इससे कहता हूँ कि कम से कम रिजर्वेशन तो पूरी करवा दें। तीन हरिजन वजीर बैठे हैं कोई ध्यान नहीं दे रहा। चीफ मिनिस्टर साहब कहते हैं कि मैं हरिजनों के लिये बहुत कुद कर रहा हूं। इनके कहनेकी बातें और

हैं और करने की और हैं। मुझे बड़ी खुशी हुई कि हमारे हरिजन वैल्फेयर मिनिस्टर साहब के लड़के की सलैक्शन हो गई। लेकिन जो एम.ए. पढ़े हुए लड़के थे उनकी सिलैक्शन नहीं हुई वे बेचारे मारे–मारे फिर रहे हैं। इसी तरह से और कई केसिज हैं जिनको न तो आज तक वजीफा मिला है और न ही उनकी किसी तरह की फीस माफ की गई है। रोहतक के मैडिकल कालेज में दो लड़कियां पढ़ती हैं उनको आज तक वजीफा नहीं मिला।

श्री सभापति: चौधरी साहब, आपका टाइम हो गया है।

चौ. चांद राम: मैं थोड़े टाइम में ही खत्म कर रहा हूं : मैं आग्मैंटेशन कैनाल के बारे में बताता हूँ। जो एक–एक या डेढ़–डेढ़ एकड़ जमीन वाले जमींदार हैं उनकी जमीन में से नहर जा रही है कुछ जमीन उनकी इधर है और कुछ उधर है। मैं सरकार से कहूंगा कि कुछ तो इस तरफ ध्यान दें। स्कूल इन्होंने अप–ग्रेड किये हैं लेकिन मेरे हल्के के अन्दर अप–ग्रेड तो क्या होना था एक प्राइमरी स्कूल भी नहीं खुला है। मुझे उम्मीद था कि जिस हल्के से दस साल तक श्री रणसिंह जैसों का संबंध रहा हो उसकी तरफ ध्यान दिया जायेगा। इसी तरह से एक गांव अटांवा है वहां के लोगों ने कहा कि हम जमीन भी देते हैं और बिल्डिग भी बना देंगे, जहां तक कि मास्टरों के क्वार्टर भी बनाना उन्होंने मान लिया। उन्होंने कहा हम यह सब कुछ कर देंगे आप हमारे यहां स्कूल खोल दो लेकिन यह सरकार ने नहीं माना।

यह कहते हैं कि बजट में जो घाटा है इसे हम टैक्स लगा कर पूरा नहीं करेंगे एक तरफ ओवर ड्राफटिंग की जाती है और दूसरी तरफ कहते हैं कि हम हवाई जहाज में सफर किया करेंगे। मैं प्रधानमंत्री जी का शुक्रगुजार हूँ शायद उन्होंने यह फैसला कर लिया है कि हरियाणा में भी इसी मार्च में ही इलैक्शन होंगे। मैं समझता हूँ उन्होंने यह फैसला हरियाणा के मुख्यमंत्री के खिलाफ मैमोरेंडम को देखते हुए किया है और सोचा हो चलो हरियाणा का गन्द भी साफ हो जाये। इन शब्दों के साथ मैं आपका शुक्रिया करता हूँ जो आपने मुझे बोलने का समय दिया।

समाज कल्याण मंत्री (श्री प्रभु सिंह): चेयरमैन साहब, चौधरी चांद राम ने अपनी स्पीच में मेरा जिक्र किया इसलिये मैं थोड़ा एक्सप्लेन करना चाहता हूं, (व्यवधान) चेयरमैन साहब इन्होंने मेरा जिक्र किया आप देख लें किसी भी डिमांड में मेरे लड़के की नौकरी का जिक्र नहीं था, खैर बहके दिमाग से आदमी कुछ भी कह सकता है। मैं एक बात कहता हूं (शोर) चेयरमैन साहब, आप इनको रोकिये ये मुझे बात भी नहीं कहने देते। मैं आपको एक बात बता दूं कि पब्लिक सर्विस कमिशन ने, जो क्वालीफिकेशन रखी थी उसे मेरा लड़का फुलफिल करता था इम्तिहान पास करके मेरा लड़का नौकरी पर लगा है, किसी के एहसान से नहीं लगा है।

चौ. चांद राम: मैंने तो इतना ही कहा था कि एडहौक अप्वांयटी है या नहीं? (व्यवधान)

चौ. लाल सिंह (नारायणगढ़): चेयरमैन साहब, आपका बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे बोलने के लिये समय दिया है। आप गरीब आदमियों का ख्याल रखते हैं इसमें कोई शक की बात नहीं है। मैं बातें तो बहुत कहना चाहता था मगर आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है लेकिन फिर भी मैं कहे बिना रह नहीं सकता। सबसे पहले मैं यह बताना चाहता हूँ कि जो कुछ इस सरकार ने किया है शायद इससे पहले किसी सरकार ने इतना ज्यादा डिवैल्पमेंट का काम नहीं किया होगा, आगे का मुझे पता नहीं कया होगा, कैसी सरकार आयेगी। सबसे बड़ा काम इस सरकार ने यह किया है कि जो विधायक होता था वह हर सैशन में अपनी जान लुकाये फिरा करता था लेकिन आज इस सरकार के राज में हम आजादी के साथ बिना किसी डिफिकल्टी के आते हैं और जाते हैं। यहां पर किसी किस्म का बिकाऊ माल का सिलसिला इस सरकार ने नहीं रहने दिया इसके लिये हम सरकार को बधाई देते हैं। दूसरी बात पहले जब हम किसी हल्के में वोट मांगने के लिये जाया करते थे तो जनता कहा करती थी कि आ गये अब वोट मांगने के लिये इतने दिनों तक शकल नहीं दिखाई थी। अब जब इलैक्शंज का टाइम आ गया है तो इनको हल्के में आना याद आया है। लेकिन आज जनता यह बात नहीं कह सकती क्योंकि हर जगह पर जिस तेजी से डिवैल्पमेंट का काम हो रहा है उसे हमारे विरोधी भाई भी मानते हैं कि इतना अच्छा काम, इतनी डिवैल्पमेंट पहले कभी नहीं हुई। दूसरी तरफ हमारे विरोधी भाई यह भी इल्जाम लगा रहे हैं कि फलां मिनिस्टर इतने पैसे खा गया फलां

इतने खा गया। चेयरमैंन साहब, मैं इनको बताना चाहता हूं कि काम करने वाला ही खाया करता है। (हंसी) अगर कोई काम करता है तो वही खाएगा जो काम करता ही नहीं वह क्या खाएगा। जो कमाता है वही खाता है। इनको यह बात मालूम नहीं कि हमारी सरकार अगर खाने वाली होती तो हरियाणा में इतनी जल्दी लोगों को सहूलतें देने वाले काम नहीं हो सकते थे। हमारी सरकार, हमारे मिनिस्टर और हमारे अफसर इतने ईमानदार हैं कि जो काम छः महीनों में होने वाला हो उसे वे छः महीनों में कर रहे हैं। मैं हाउस का मैंबर होने के नाते दावे से कहता हूं कि चौ. बंसी लाल जैसा चीफ मिनिस्टर चिराग बाल कर भी नहीं मिलगा जिसने इतनी तेजी से काम यिका है, अफसरों को उसका हर वक्त डर रहता है कि बंसी लाल हमारे पीछे खड़ा है। इसलिए जब इतना अच्छा काम हो रहा है तो आपको उसकी बुराई नहीं करनी चाहिए और आपको परमात्मा से डरना चाहिए। भगवान् कृष्ण जी अर्जुन को कह गए थे कि कर्म करने वाले की मैं कदर करता हूं। जब भगवान् कर्म करने वाले की कदर करता है तो फिर आपको भी काम करने वाले की तारीफ करनी चाहिए। इस सरकार के बारे में जो लोगों के दिलों में इज्जत है उतनी आज से पहले कभी किसी सरकार के प्रति नहीं हुई, इस स्टेट में सिर्फ हिन्दुस्तान में ही नहीं बल्कि दुनिया के अन्दर ऐसी मिसाल नहीं मिल सकती जो इसने काम कर के दिखाए हैं। हर गांव में बिलजी, स्कूल, सड़क और हस्पताल खोल दिए हैं, दुनिया भर की सहूलतें लोगों को देने की कोशिश की है। इसके बावजूद भी आप संतुष्ट नहीं है

और आप कमीशन की बात करते हैं। आप हरियाणा के लिए घातक बने हुए हैं। अच्छा काम करने वाले की नुक्ताचीनी करना, बार–बार असैंबली तुड़वाना और अगर आप डेढ़ साल पहले इलैक्शन करवाएंगे तो यह सब बातें हरियाणा के हित के खिलाफ होंगी जब आप जनता के सामने वोट मांगने जाएंगे तो फिर आपको यह जवाब मिलगा कि आप हमारे वोट के हकदार नहीं हैं क्योंकि आप एक अच्छी सरकार की नुक्ताचीनी करते हैं। श्री बंसी लाल के साथ और उसके शरीर के साथ हमें कोई प्रेम नहीं है हमको तो उसके कामों से प्रेम है। उसकी वजह से आज हर एम. एल.ए. अपने हल्के में सर ऊंचा करके चल सकता है। वित्तमंत्री साहिबा ने जो बजट पेश किया है वह इतना अच्छा है कि मुझे ऐसा मालूम होता है कि वह शायद छः महीने तक इसे बनाने के लिए सोई भी न हों। जिन अफसरों ने इसके लिए काम किया है वह भी बड़े अच्छे ढंग से किया है। हमारी सरकार ने जब इतना अच्छा काम किया है तब भी आप उसको बख्शने के लिए तैयार नहीं हैं, इस चीज का बदला आपको परमात्मा देगा। आप तो मेरे जैसे पर भी इल्जाम लगाने के लिए तैयार हैं। मैं कहता हूं कि कोई हाउस में अपने बच्चे को गोद में लेकर या मस्जिद और गुरूद्वारे में खड़ा होकर कहे कि लाल सिंह ने फलां वक्त में फलां चीज ली है, कोई सिग्रेट या बीड़ी की भी बात बता दे अगर मैंने सिकी से पी हो, इसलिए मैं कहूंगा कि निराधार इल्जाम नहीं लगाए जाने चाहिएं। वह जमाना अब चला गया जब बैरियर बांटे हुए थे कि फलां बैरियर से मैं पैसे लूंगा और फलां से दूसरा

लेगा। चेयरमैन साहब जो सही आदमी होता हे वही सही चीज की कदर करता है। मुझे गरीब समझ कर टाईम नहीं देते थे मगर आपने मुझे टाईम दिया है जिसके लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूं। मैं उनको यह बताना चाहता हूं कि मैं बेशक गरीब हूं लेकिन मैं उन सबसे ज्यादा वोटें लेकर आया हूं जो लोग इस सरकार को गलत बताते हैं वे हरियाणा के कामों में रोड़ा अटकाते हैं। इस सरकार के कामों को दुनिया की हिस्ट्री में सुनहरी लफ्जों में लिखा जाएगा। सरकार ने हर क्षेत्र में तरक्की की है लेकिनआप उनको मुबारिकबाद भी नहीं दे सकते। आप सरकार की जितनी बुराई करते हैं उतना ही अपने रास्ते मे ंरोड़ा अटाका रहे हैं। मैं अपनी सरकार को दिल से मुबारिकबाद पेश करता हूं। चेयरमैन साहब अब मैं दो–चार और जरूरी बातें कह कर अपनी स्पीच बंद करूंगा। आप जानते हैं कि जो तेज चल कर पहुंचने वाली बस होती है उसकी टिकट लेने के लिए सब खड़े रहते हैं, हमारी सरकार सब काम बड़ी तेजी के साथ करती है इसलिए हम उसको काम करने के लिए बताते रहते हैं। मैं अपनी सरकार से निवेदन करूंगा कि बरसात के दिनों में जो मकानात गिरे थे उनको मदद के लिए पैसे जल्दी दिए जाने चाहिएं ताकि वह सिर छिपाने के लिए अपने मकान बना सकें। इसके अलावा जितने नदियां–नाले हैं उन सब का वास मेरे नारायणगढ़ के हल्के में हैं। उनकी वजह से सारे हरियाणा में फल्ड आता है और नुक्सान होता है। अगर वहां पर काले आम के पास डैम बना दिया जाये तो उसक तो उससे बिजली और पानी मिलेगा और दूसरे हर साल जो फल्ड

आता है उससे बच जाएंगे। पंजाब में जैसे मंदिर और गुरद्वारों का बोर्ड बना हुआ है उसी तरीके से हरियाणा में भी जो मंदिर है उनका बोर्ड या ट्रस्ट बनाया जाना चाहिए। इस वक्त उनसे जो लाखों रूपए की आमदन होती है वह पैसा शराब और दूसरे ऐबों पर खर्च होता है। अगर कोई ट्रस्ट बना दिया जाए तो उस पैसे को अच्छे कामों पर खर्च किया जा सकता है। इसके अलावा पीने के पानी के लिए जो सरकार ने बोर्ड बनाया है यह बड़ा भारी उपकार किया है क्योंकि पीने के पानी के बगैर गुजारा नहीं हो सकता था। जिस तरह आदमियों के लिए पीने के पानी का प्रबन्ध किया है उसी तरीके से मवेशियों के लिए भी पीने के पानी का प्रबन्ध किया जाना चाहिए। इस वक्त हरियाणा के बहुत से लोग पशुओं को पीने का पानी न मिलने की वजह से यू.पी. में या हरिद्वार में जाते हैं जहां उनके पशु चोरी हो जाते हैं और रास्ते में मार भी जाते हैं इसलिए सरकार पशुओं के लिए पीने के पानी का प्रबन्ध जरूर करे।

हमारी सरकार ने सड़कों का काम बहुत किया है। लेकिन जो गांव सड़क से फर्लांग या दो फर्लांग के फासले पर हैं उनकी एप्रोच रोड्ज नहीं बनाई गईं, सरकार को वह बना देनी चाहिएं। सरकार को चलती नदी में यह काम भी कर देना चाहिए। इसके इलावा मेरे इलाके में बहुत सी जमीन बेकार पड़ी हुई है, सरकार को बुलडोजरों के साथ उसको लैवल करवाना चाहिए और उसका खर्चा सरकार को अपने पास से करना चाहिए। इससे

अनाज की पैदावार बढ़ेगी और सूबे में खुशहाली आएगी। स्कूलों में जो बच्चे पढ़ने जाते हैं उनके लिए पीने के पानी का प्रबन्ध होना चाहिए और उसके साथ–साथ जैसे शहरों के स्कूलों में बच्चों की डाक्टरी होती है उसी तरह गांवों में भी बच्चों की डाक्टरी की जानी चाहिए। इसके बाद चेयरमैन साहब मैं यह अर्ज करना चाहता हूं हमारे असैंबली के जो रिपोर्टर साहिबान हैं जो यहां पर हाउस में हमारी स्पीचें लिखते हैं उनकी कुछ प्रोमोशन हुई थी जिसको कि रोक दिया गया है। मैं निवेदन करूंगा कि उनकी प्रोमोशन को नहीं रोकना चाहिए क्योंकि वे हमारे बाजू हैं और हर वक्त हमारे काम अपने वाले आदमी हैं। अंत में मैं कहूंगा कि जो पटवारी हैं उनको शहरो में रहने की इजाजत नहीं होनी चाहिए, वे गांवों में रहने चाहिएं क्योंकि लोगों को उनकी जरूरत रहती है। बस इतना कहने के बाद मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं।

वित्तमंत्री (श्रीमती ओम प्रभा जैन): चेयरमैन साहब वैसे 12 बजे गिलोटीन लगना था लेकिन अगर आप इजाजत दें तो मैं पांच–सात मिनट कह कर अपनी स्पीच वाईडअप कर दूंगी।

श्री मंगल सैन: इसके लिए दो घंटे का समय रखा गया था।

श्रीमती ओम प्रभा जैन: आप पहले मेरी बात सुन लें। बात यह है कि चेयरमैन साहब

12.00 Noon

ने अनाऊंस किया था कि 12 बजे गिलोटीन लगाना है। उसके बाद आफीशल रैजोल्यूशन आना है और बाद दोपहर जो दूसरी सिटिंग होनी है उसमें ऐप्रोपरिएशन बिल पर डिस्कशन होगी। अगर आप चाहते हैं तो मैं उस वक्त बोल लूंगी अब नहीं बोलती और आप डिमांड्ज पास कर लें।

आवाजें: हां यह ठीक है।

श्री ओम प्रकाश गर्ग (थानेसर): चेयरमैन साहब, कल विरोधी दल के एक सदस्य ऐप्रोपरिएशन बिल पर बोल रहे थे और कह रहे थे कि यह सरकार और इसका ऐड–मिनिस्ट्रेशन लोगों पर, हरिजनों पर बड़ा अत्याचार कर रहा है। मुझे उनकी यह बातें सुनकर बहुत अफसोस हुआ और हैरानी भी हुई कि वह क्या कह रहे हैं। आप यह अच्छी तरह जानते हैं कि जब बहादुरगढ़ का बाई इलैक्शन हुआ था तो उस वक्त हरिजनों पर कितना अत्याचार किया गया और मंडोठी के हरिजनों की कितनी बुरी हालत की गई थी। मैं जानना चाहता हूं कि उस वक्त यह नेता कहां थे जब उनके वक्त में ऐसा हो रहा था? जो अत्याचार उस वक्त हुआ वह किसी से भूला हुआ नहीं है। उस वक्त इनके ऐडमिनिस्ट्रेशन की यह हालत थी कि सम्गलिंग के लिये सड़कें बांटी हुई थीं और तमाम पुलिस ऐडमिनिस्ट्रेशन इसी काम में लगा हुआ था और तायनात किया हुआ था। इतनी बुरी हालत थी कि उसकी मिसाल नहीं मिलती। आज का जो ऐडमिनिस्ट्रेशन है वह निहायत अच्दा है

और लोगों की भलाई के काम में लगा हुआ है और हरियाणा की तेजी के साथ तरक्की हो रही है। (विघ्न) मैं दो तीन बातें अब अपने हलके की बताना चाहता हूं और उनकी तरफ सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं। चेयरमैन साहब हमारी सरकार बड़े–बड़े डैम और नहरें बनारही है जिनकी कि हरियाणा को बहुत जरूरत थी और उसके लिये सरकार का धन्यवाद करता हूं। सरकार ने कई अच्छे–अच्छे प्रौजेक्ट हाथ में लेकर कई मुकम्मल कर दिये हैं और कई मुकम्मल करने जा रही है। मेरे हलका में बीबीपुर लेक है और उसकी जो स्कीम है बहुत अच्छी है और मैं उसका विरोध नहीं करता हूं लेकिन मैं इस बारे में इतना कहना चाहता हूं कि उस लेक में कुछ गांव आते थे। कुछ गांव तो उसमें से निकल गये हैं लेकिन कुछ गरीब बाजीगरों और हरिजनों के डेरे उसमें आते हैं और यह लोग बड़ी मुश्किल के साथ पाकिस्तान बनने के बाद आज बसे हैं। वे कोई सौ के करीब घर हैं और उनकी तकरीबन 100/150 किल्ले जमीन होगी। आप देखें कि यह सौ घर बाजीगरों के बड़ी मुद्दत के बाद आज बसे हैं और उनके पास एक–एक डेढ़–डेढ़ किल्ला जमीन है जिसके ऊपर ही उनका और उनकी फैमिलीज का गुजारा हैं अगर अब उनको उठना पड़े तो यह सबके लिये बड़े दु:ख की बात होगी। मैं यह चाहता हूं कि मुख्यमंत्री जी और इरीगेशन मिनिस्टर साहब इस तरफ ध्यान दें और उन बेचारों को उजड़ने से बचायें। अब चेयरमैन साहब मैं यह कहना चाहता हूं कि कोआप्रेटिव महकमें की तरफ से कुछ हरियाणा में गन्ने मिलें लगाई जा रही हैं। यह बहुत अच्छी बात है

इससे हरियाणा की तरक्की होगी। मैंने कुछ ऐसे सुना है कि एक गन्ना मिल करनाल में लगाई जा रही है लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि अगर इस मिल को पिपली यह शाहबाद में लगा दिया जाये तो यह ज्यादा अच्छी बात होगी क्योंकि यह जगह जिला अम्बाला और करनाल के बीच में है और दोनों इलाकों का गन्ना इसमें आ सकता और दोनौं जिले इससे फायदा उठा सकते हैं। सरकार ने मिल्क फ्लाटंस लगाने की भी स्कीम बनाई है। इस बारे में भी मैं कहना चाहता हूं कि मिल्क प्लाट पिपली में लगाना ज्यदा मुनासिब होगा। जैसा कि मुख्यमंत्री जी ने और हरिजन वैलफेयर मंत्री ने भी फरमाया है कि जहां जहां मिल्क फ्लांट लगा येगे वहां हरिजनों और दूसरी गरीब जातियों को डेरी के लोन देंगे। मैं समझता हूं कि हमारे इस इलाका में पिपली में अगर यह प्लांट लगा दिया जाये तो हरिजनों की और गरीब लोगों की काफी मदद होगी क्योंकि वहां गरीब हरिजनों के पास गायें–भैंसें रखकर दूधर बचने के और कोई गुजारा करने का कोई साधन नहीं है। इसलिए मेरी गुजारिश है कि पिपली में मिल्क फ्लांट लगाया जाये और हरिजनों की तरफ ध्यान दिया जाये। (घंटी) इसके अलावा और भी जो मकानों वगैरह की स्कीमें हैं और दूसरी लोगौं की भलाई की स्कीमें सरकार चला रही है उसके लिये मैं सरकार का धन्यवाद करता हूं और कहता हूं कि जितनी तरक्की इस सरकार ने की है और किसी ने नहीं की है।

श्रीमती ओम प्रभा जैन: चेयरमैन साहब, अगर तो आपने गिलोटिन का टाइम ऐक्सटैंड कर दिया है तो मैं बोल लेती हूं अगर नहीं तो आप इन डिमान्डज पर वोट करा दें और मैं दूसरी सिटिंग में ऐप्रोपरिएशन बिल पर बोल लूंगी।

श्री मंगल सैन: ठीक है बहन जी आप उस वक्त बोल लेना और जो हम नये प्वायंट लायेंगे उनका भी साथ में जवाब दे देना।

श्रीमती ओम प्रभा जैन: ठीक है मैं बाद में बोल लूंगी आप चेयरमैन साहब डिमांडज पुट कर दें।

Mr. Chairman : I will now apply guillotine and put the various demands to the vote of the House.

Mr. Chairman : Question is-

That a supplementary sum not exceeding Rs. 39,520 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 1972, in respect of 9-Land Revenue.

The motion was carried.

Mr. Chairman : Question is-

That a supplementary sum not exceeding Rs. 12,27,680 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 1972, in respect of 18-Parliament, State/Union Territory Legislatures.

That a supplementary sum not exceeding Rs. 23,91,690 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 1972, in respect of 19-General Administration.

The motion was carried.

Mr. Chairman : Question is-

That a supplementary sum not exceeding Rs. 14,63.080 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 1972, in respect of 22-Jails.

That a supplementary sum not exceeding Rs. 16,30,570 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 1972, in respect of 23-Police.

That a supplementary sum not exceeding Rs. 16,46,340 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 1972, in respect of 26-Miscellaneous Departments.

That a supplementary sum not exceeding Rs. 20,00,000 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 1972, in respect of 28-Education.

That a supplementary sum not exceeding Rs. 10 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 1972, in respect of 31-Agriculture.

That a supplementary sum not exceeding Rs. 75,000 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 1972, in respect of 35-Industires.

That a supplementary sum not exceeding Rs. 3,45,900 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 1972, in respect of 37-Community Development Projects, National Extension Service and Local Development Works.

That a supplementary sum not exceeding Rs. 20 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 1972, in respect of 39-Miscellaneous, Social and Development Organisations.

That a supplementary sum not exceeding Rs. 1,49,29,650 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 1972, in respect of 9-Land Revenue.

That a supplementary sum not exceeding Rs. 10 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 1972, in respect of 57-Roads and water Transport Schemes.

That a supplementary sum not exceeding Rs. 38,50,500 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 1972, in respect of 9-La

That a supplementary sum not exceeding Rs. 150 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 1972, in respect of 67-Privey Purses and Allowances of Indian Rulers.

That a supplementary sum not exceeding Rs. 20,71,130 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 1972, in respect of 68-Stationary and Printing.

That a supplementary sum not exceeding Rs. 3,15.000 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 1972, in respect of 70-Forests.

That a supplementary sum not exceeding Rs. 48,10,350 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 1972, in respect of 71-Miscellaneous.

That a supplementary sum not exceeding Rs. 12,00,000 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 1972, in respect of 95-Capital Outlay on Schemes of Agriculture Improvement and Research.

That a supplementary sum not exceeding Rs. 54,62,450 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 1972, in respect of 96-Capital Outlay on Industrial and Economic Development.

That a supplementary sum not exceeding Rs. 63,13,950 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 1972, in respect of 99-Capital Outlay on Irrigation, Navigation,Embankment and Drainage Works (Commercial).

That a supplementary sum not exceeding Rs. 4,01,05,000 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 1972, in respect of 103-Capital Outlay on Public Works.

That a supplementary sum not exceeding Rs. 6,00,000 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 1972, in respect of 109-Capital Outlay on other Works.

That a supplementary sum not exceeding Rs. 32,12,000 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 1972, in respect of 114-Capital Outlay on Road and Water Transport Schemes.

That a supplementary sum not exceeding Rs. 10 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 1972, in respect of Loan to Local Funds-Private Parties.

The motion was carried.

OFFICIAL RESOLUTION

Chief Minister (Shri Bansi0 Lal) : Sir, I beg to move-

"That this House ratifies the amendments to the Constitution of India falling within the preview of the proviso to clause (2) of Article 368 thereof, proposed to be made by the Constitution (Twenty-fifth Amendment) Bill, 1971, as passed by two Houses of Parliament.."

Mr. Chairman : Motion moved-

That this House ratifies the amendments to the Constitution of India falling within the preview of the proviso to clause (2) of Article 368 thereof, proposed to be made by the Consititution (Twenty-fifth Amendments) Bill, 1971, as passed by two Houses of Parliament.

श्री मंगल सैन (रोहतक): चेयरमैन साहब, भारत के संविधान की 25वीं अमेंडमेंट आज हाऊस के सामने विचाराधीन है। लोक सभा और राज्य सभा, अर्थात संसद के दोनों सदनों ने इस संशोधन को पारित करके, राज्य विधान सभाओं के सम्मुख रैटीफिकेशन के लिए भेजा, इसीलिए आज यह अमेंडमेंट विचार के लिए प्रस्तुत है। चेयरमैन साहब, इस संशोधन द्वारा सरकार का यह उदेश्य है कि अब तक कोई भी सम्पति जो सरकार द्वारा ली जाती थी उसका मुआवजा एवार्ड की शक्ल में दिया जाता था। अगर वह आदमी, जिससे जमीन ली जाती थी, जायदाद ली जाती थी, उसका मुआवजा न दिया जाये तो उसको अदालत में जाकर अपनी विनती, अपनी प्रार्थना, अपनी फरयाद करने का अधिकार था। अब

इस संशोधन के द्वारा वर्तमान सरकार यह चाहती है कि कोई भी आदमी मुआवजा दिए जाने के बारे में अदालत में न जा सके और जो निर्णय सरकार करे, भाव के बारे में, क्षतिपूर्ति के बारे में और कम्पैसेशन के बारे में, वही फाईनल होगा। चेयरमैन साहब, यह इतिहास में एक ऐसी नई बात लाई जा रही है, ऐसा ऐतिहासिक कदम उठाया जा रहा है जो बहुत विचार करने वाला है। आज शासक दल, केन्द्र में भी और राज्यों में भी बहुमत में है। बहुमत के इस प्रवाह में सब कुछ अन्धाधुन्ध तरीके से समर्थन कर दिया जाए, शासक दल को शोभा नहीं देता। हमारी आने वाली पीढ़ी ने इस कार्याकलाप पर विचार करना है। आने वाली पीढ़ी अनुभव करेगी कि इन लोगों ने बिना विवेक अन्धाधुन्ध तरीक से काम किए। वे इस मामले पर विचार करेंगे कि जो काम किए हैं, क्या वे अन्धाधुन्ध किए हैं या विचार करके सही कदम उठाए हैं। चेयरमैन साहब, सरकार किसी की सम्पति जन–हिसार के लिए लेगी और उसकी क्षतिपूर्ति देगी लेकिन अदालत में अधिकार नहीं होना चाहिए, जैसा कि मैंने शुरू में कहा है, इस बिल का औबजैक्ट यही है। जिस दल से मेरा सम्बन्ध है, उसका और मेरा यह विचार है कि अगर पूरी सम्पति का मुआवजा दिया जाए, जैसे कि बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया है, अगर बैंकों का पूरा मुआवजा देना पड़े तो बहुत रूपया चाहिए। इसी प्रकार किसी ऐसे उद्योग को या किसी ऐसी सम्पति का सरकार ने जनहित के लिए लेना हो और उसका मुआवजा देना शुरू किया तो बड़ा मुश्किल होगा। यह तो ठीक बात है, हम इसके पक्ष में नहीं हैं कि पूरी सम्पति के लिए

मुआवजा दिया जाये और सरकार कोर्ट में जाने की आज्ञा दे। लेकिन इस देश में काफी पूंजीपति नहीं रहते। इस देश में, 25 साल से कांग्रेस शासन होने के बावजूद भी लोग झोंपड़ियों में रहते हैं, सड़कों पर सोते हैं, छोटी–छोटी दुकानें हैं और बहुत से लोगों के पास एक एकड़ से कम जमीन है। लोग बहुत साधारण चीजों के मालिक हैं, मेरा कहने का मतलब है, हरियाणा में बहुत कम लोग पूंजीपति हैं। चेयरमैन साहब, अगर इस बिल में वह व्यवस्था कर दी जाती जैसे ग्रामीण क्षेत्र में किया गया है कि 30 स्टैंर्डड एकड़ से ज्यादा किसी की होल्डिग नहीं होगी और उकसी सरप्लस जमीन बे–जमीन किसानों को बांट दी जाएगी। वैसे यह चीज कहने का यह समय नहीं है, लेकिन फिर भी मैं सदन का थोड़ा सा ध्यान इस तरफ खींचना चाहता हूं। जो जमींदारों से सरप्लस जमीन ली गई वह जमींदारों में बांटी नहीं गई और शासक दल बे–जमीन किसानों से वोट लेने के लिए हमेशा इस किस्म के झांसे देता रहा। ये ली हुई सरप्लस जमीन को तो क्या बांटेंगे, इनसे नजूल लैंड तो अभी तक बांटी नहीं गई। इस तरह ये भोलीभाली जनता को गुमराह करते हैं। इनके पास टैलीविजन हैं, अखबारों पर एकाधिकार है, जैसे चाहें जनता का मन बना दें जैसे चाहें देश में हवा चला दें, ये सब कुछ कर सकते हैं। मेरे कहने का अभिप्राय यह है कि एक व्यक्ति को शहर में निश्चिल लिमिट तक सम्पति रखने का अधिकार हो। पिछले दिनों अर्बन सीलिंग के बारे में चर्चा हो रही थी। इनकी पार्टी ने अर्बन सीलिंग के बारे में कुछ तय नहीं किया। हमने एक व्यक्ति को सुझाव दिया

था कि एक व्यक्ति के पास एक हजार गज जमीन पर दो लाख रूपए की लागत से ज्यादा का मकान नहीं रहना चाहिए। अगर इसमें ज्यादा का होगा तो सरकार को ले लेना चाहिए। अर्बन सम्पति पर सीलिंग कर देनी चाहिए। चेयरमैन साहब, इस देश में ऐसे भी लोग हैं जो बिल्कुल निर्धन हैं और ऐसे भी श्रीमान् हैं जो पहले निर्धन थे लेकिन राजकाज के मामले में पड़ कर हाथ रंग लिए। चेयरमैन साहब, हम यही चाहते हैं कि कांस्टीच्युशन के अमैंडग बिल में यह प्रोवीजन कर दिया जाए कि इतनी जमीन से ज्यादा जो होल्डिंग ली जाए तो उस पर पूरा मुआवजा दिया जाएगा, अगर पूरा मुआवजा ने मिले तो उसको अदालत में जाने का अधिकार होगा। इसी प्रकार शहरी सम्पति के बारे में कर दें। चेयरमैन साहब, मैं केवल इतनी बात कहना चाहता हूं कि आज मौका है, सरकार हमारी बात मान ले और जो सुझाव मैंने दिया है इसको कबूल कर ले।

(इस समय उपाध्यक्षा पदासीन हुई)

श्री बनारसी दास गुप्ता (भिवानी): उपाध्यक्ष महोदया, अभी–अभी सदन के नेता ने संविधान की 25वीं अमैंडमैंट को रैटीफिकेशन के लिए एक प्रस्ताव सदन में रखा है। उपाध्यक्षा महोदया, आपको मालूम है पिछले दिनों लोकसभा तथा राज्यसभा, इन दोनों सदनों में भारी बहुमत से संविधान में संशोधन का बिल पास किया। डिप्टी स्पीकर साहिबा, यह 25वां संशोधन है जिसका रैटिफिकेशन के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत हैं। आपको याद होगा, इससे

पूव्र 24वां संशोधन संविधान में किया गया जिसका उदेश्य, जिसका अभिप्राय यह था कि प्रधानमंत्री को, लोकसभा को, संसद को यह अख्तियार मिलें, यह अधिकार मिले कि जो कांस्टीच्युशन में फण्डामेंटल राइट्स हैं उनमें संशोधन कर सकें उस 24वें संशोधन के द्वारा दिए गए अधिकार के अनुसार संसद संशोधन कर सकती है। उसी अधिकार का प्रयोग करते हुए यह 25वां संशोधन संविधान के अन्दर किया गया है। अभी हमारे सम्मानित दोस्त डा. साहब बोल रहे थे। एक तरफ तो वे बड़ी प्रोग्रैसिव बात करते थे अपनी पार्टी की, कि हमने अर्बन प्रापर्टी पर सीलिंग लगाने का जो लक्ष्य निर्धारित किया है वह बहुत उचित है। वे चाहते हैं कि इसी प्रकार की कोइ सीलिंग लगाई जाए जैसे कि कृषि भूमि पर लगी है।

डिप्टी स्पीकर साहिबा, मुझे इस बात की खुशी है कि डाक्टर साहब और उनकी पार्टी अब इस तरह की बातें तो कहने लगे हैं। हम तो वर्षो से यह बात कहते हैं कि देश में समाजवाद की स्थापना की जाए, कंसैन्ट्रेशन आफ वैल्थ को रोका जाए जो बड़ी भारी प्रौपर्टीज पर कब्जा किए बैठे हैं, उनके कब्जे से कानून के द्वारा, हिंसा के द्वारा नहीं बल्कि अहिंसात्मक एवं संवैधिनिक तरीके से वह पूंजी निकाली जाए। मैं तो कहूंगा, उपाध्यक्ष महोदया, कि यह हमारी पार्टी और श्रीमती इन्दिरा गांधी की प्रोग्रैसिव नीति की एक बड़ी भारी विजय है कि जनसंघ जैसी रीऐक्शनरी पार्टीज भी इस तरह सोचने लगी हैं। उपाध्यक्ष

महोदया, मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि लोकसभा के चुनाव में ऐसी रीऐक्शनरी पार्टीज के मुंह पर जब जनता ने चपेड़ मारी तब इन्हें होश आया और प्रोग्रैसिव नीति (प्रगतिशील नीति) इनको याद आई .....

श्री मंगल सैन: दिल्ली में वहां की जनता ने दिल्ली कारपोरशन के चुनाव में आपके थप्पड़ मारा था। (व्यवधान)

श्री बनारसी दास गुप्ता: मैं आपको नहीं कह रहा हूं मैं तो पार्टी की बात कह रहा हूं। मैं व्यक्तिगत बात नहीं करता।

श्रीमंगल सैन: मैं भी पार्टी की बात कह रहा हूं।

श्री बनारसी दास गुप्ता: तो उपाध्यक्षा महोदया, मैं अर्ज कर रहा था कि लोकसभा के चुनाव में जनता ने जब चपेड लगाई तब ऐसी रीऐक्शनीर पार्टीज जो थीं उनका दिमाग ठिकाने आया, उनको होश आया, उन्होंने उन लाईन्ज पर सोचना आरमी किया और यह महसूस किया कि या तो प्रोग्रैसिव नीति अपनानी पड़ेगी और अपनानी न भी पड़े तो जबान से जरूर कहना पड़ेगा नहीं तो लोग वोट नहीं देंगे। यह बात सोचकर आज ये इस प्रकार की बातें करते हैं (व्यवधान) मैंने डाक्टर साहब शुरू–शुरू में अपने कान से आपकी पार्टी के नेताओं का वह भाषण सुना है जिसमें कहा जाता था कि अगर एक आदमी ने एक–एक पली तेल करके बड़े भारी तेल का स्टाक इकट्ठा कर लिया है तो इन कांग्रेस वालों के पेट में दर्द क्यों होता है? (व्यवधान) उपाध्यक्ष महोदया,

यह सर्वप्रसिद्ध बात है कि आज तमाम देश के अन्दर जो प्रतिक्रियावादी हैं, रीऐक्शनरीज हैं, मुझे इस बात की खुशी हे कि वे इस प्रकार की नीति अपनाते जा रहे हैं और अपने सोचने के ढंग में तथा प्रोग्राम में आमूल चूल परिवर्तन करते जा रहे हैं। (व्यवधान)

श्री मंगल सैन: कोई परिवर्तन नहीं है:

श्री बनारसी दास गुप्ता: उपाध्यक्षा महोदया, मैं कहने जा रहा था कि यह जो संशोधन हुआ है यह बड़ा भारी क्रांतिकारी कदम हैं इसका अभिप्राय क्या है, मैं चन्द शब्दों में सदन के सामने प्रस्तुत करता हूं। जब भी कोई जमीन, कोई प्रौपर्टी अधिग्रहण की जाती थी राष्ट्र के हित में, जनहित में तो उसका कंपनसेशन देना जरूरी था। यह बात फंडामैंटल राईटस के अन्दर थी कि बिना कंपनसेशन सिी की भूमि या किसी की सम्पति का सरकार, चाहे कितना जनहित का काम क्यौं न हो, अधिग्रहण नहीं कर सकती थी। तो डिप्टी स्पीकर साहिबा, इस अमेन्डमैंट के द्वारा ''कंपनसेशन'' शब्द को 'अमाउंट' शब्द से सबस्टिच्यूट किया है और उस अमांउट को जनता के चुने हुए प्रतिनिधी तय करेंगे या लोकसभा तय करेगी या विधानसभा तय करेगी। जो आदमी कोर्टस के अन्दर जाकर बैठते हैं न्यायधीश की कुर्सी पर उनके बारे में मैं कुछ कहना नहीं चाहता लेकिन वे कुछ और ढंग से सोचते हैं, उनका दृष्टिकोण भिन्न होता है। जब मार्किट वैल्यू, की बात आती है, उपाध्यक्ष महोदया, तो मैं यकीन दिलाना चाहता हूं कि

डालमियां, बिरला, टाटा और जितने बड़े–बड़े पूंजीपति देश में हैं, जिन्होंने करोड़ों और अरबों रूपया अर्जन कर लिया है, कारखाने, उद्योग धन्धे लगा लिए हैं और कोठियों तथा सम्पति बना ली है, वे भी सबकी सब चीजों को सहर्ष छोड़ने के लिए तैयार हैं अगर आप उन्हें मार्किट वैल्यू देने के लिए तैयार हों। उन्हें इसमें क्या अड़चन आती है? कोई पूंजीपति भी इंकार नहीं करेगा। वे तो कहते हैं कि हमें मार्किट वैल्यू दे दो और इन चीजों को सम्भाल लो। उपाध्यक्षा महोदया, जिस तरीके से इन्होंने शोषण करके, ऐक्सप्लायटेशन करके, गरीब जनता मजदूर और किसान का खून चूसकर रूपया इकट्ठा किया है अगर उसकी मार्किट वैल्यू दे दी जाए तो उससे राष्ट्रीयकरण का सदोपयोग होने वाला नहीं है और जनहित में उसका उपयोग नहीं हुआ। इसलिए यह संशोधन करना जरूरी था कि उसके अन्दर से मार्किट वैल्यू शब्द निकाला दिया जाए, कंपनसेशन शब्द निकाल दिया जाए, उसकी जगह अमांउट शब्द सबस्टिच्युट कियाजाए और उसका फैसला सुप्रीम कोर्ट में बैठने वाले जाज न करें बल्कि जनता द्वारा चुने हुए नेता करें। कितना शानदार संशोधन है जिसमें हमारी तमाम समस्यायें हल हो जाती हैं। उपाध्यक्ष महोदया, आप जानती हैं कि आज जब सरकार किसी बड़े आदमी की जमीन को हाथ लगाती है तो वह सुप्रीम कोर्ट में पहुच जाता है, बड़े–बड़े वकील, बड़े–बड़े लौयर, लाखों रूपया जिनकी फीस है, ऐनगेज कर लेता है, सब तरह की कानूनी सुविधा उपयोग करके वह सुप्रीम कोर्ट में जाकर चैलेंज करता है और जनहित मे ंकरने वाले काम में डिले हो जाती है। आप

अन्दाजा लगाईए कि इससे कितना नुक्सान होता था। आप अम्बाला जिले की रहने वाली हैं। आपको पता है कि वहां एक नदी है, एक नाला है, उसके ऊपर पुल नहीं है, उससे बड़ा भारी नुक्सान होता है और सरकार जनहित में किसी की भूमि लेना चाहती है लेकिन वह कोर्ट में चला जाता है, सालों तक वह मामला लटकता है और जनहित का कार्य रूक जाता है। इससे कितना बड़ा भारी नुक्सान होता है। अब वह कोर्ट के परव्यू से मामला निकाल लिया गया है। जनता द्वारा निर्वाचित लोग अब इसका फैसला करेंगे। तो मैं, उपाध्यक्ष महोदया, यह समझता हूं कि बिल्कुल नौन–कंट्रोवर्सियल यह सत्य है कि यह बहुत अच्छा संशोधन है। हमारी प्रधानमंत्री और हमारी पार्टी ने जनता को जो आश्वासन दिया था कि देश में हम समाजवाद लाएंगे, जमीन आसमान का जो अन्तर है उसको दूर करेंगे, गरीबी को दूर करेंगे, हमारा जो कांस्टिच्यूशन है उसके फंडामैंटल राईट्स की आड़ में कुछ लोग जो बड़ी भारी सम्पति, करोड़ों अरबों रूपयों का उपभोग कर रहे थे उससे हम अपने देश को बचा सकेंगे और हम एक प्रगतिशील कदम उठाकर देश में समाजवाद ला सकेंगे। इन शब्दों के साथ मैं समर्थन करता हूं कि इस बिल को रैटिफाई कर दिया जाये।

(कुछ सदस्य इस समय बोलने के लिए खड़े हुए)

उपाध्यक्षा: चौ. चांद राम को बोलने दें फिर आपको टाईम दे देंगे।

चौ. चांद राम (बबैन–अनुसूचित जाति): डिप्टी स्पीकर साहिबा, मैं आपका मशकूर हूं कि ऐसे ऐतिहासिक संशोधन, जो हमारी पार्लियामैंट ने किया, पर आपने मुझे बोलने का समय दिया। 26 जनवरी, सन् 1950 को हमने संविधान लागू किया था और उसके डारैक्टिव प्रिंसिपल्ज में बहुत सी चीजें रखीं थीं। मुख्य बात यह थी कि हम ऐसे–ऐसे कदम उठायेंगे, चाहे पालिसी राज्य सरकार की हो या केन्द्रीय सरकार की, कि पावर, चाहे वह किसी प्रकार की हो, खासतौर पर आर्थिक पावर, वह चन्द हाथों में केन्द्रित नहीं होगी और सरकार का संचालन इस ढंग से होगा कि किसी तरह की ऐक्सप्लायटैशन, शोषण नहीं होगा और न ही वह किसी अन्याय का सूचन होगा। यह थी हमारी मुख्य भावना। हमारी केन्द्रीय सरकार ने और राज्य सरकारों ने बड़े–बड़े कदम उठाए जैसे जमीन के बारे में किया। सुप्रीम कोर्ट ने गोलक नाथ केस में यहां तक कह दिया था कि पार्लियामैंट को अख्तियार ही नहीं है कोई संशोधन करने का। परन्तु पार्लियामैंट ने 24 वां संशोधन करके अपना अख्तियार वापिस ले किया उसके बाद यह संशोधन लाजमी था। पीछे जैसे लोकसभा के लिए मिड टर्म इलैक्शन हुए उसमें यह कहा गया कि समाजवाद लाएंगे लेकिन राज्य के अन्दर समाजवाद लाने में बड़े स्नैग्ज हैं, ब्लौक हं और रूकावटें हैं। समाजवाद लाने का एक मतरीका यही है कि जो बड़े–बड़े कारखानों वाले हैं, जायदाद वाले हैं उनकी जायदाद को तकसीम किया जाए जो आर्थिक शक्ति का केन्द्रीयकरण है उसका केन्द्रीयकरण किया जाए और सरकार के हाथ में ज्यादा ताकत

आए। 24वां संशोधन पास कर देने के बाद यह 25वां संशोधन आया है। पहला संशोधन खासतौर से गोलकनाथ के केस के बारे में हुआ था। बैंकों के राष्ट्रीयकरण होने के बाद जो सुप्रीमकोर्ट का डिसीजन आया उसके अनुसार भारत सरकार को बैंकों के मालिकों को पांच गुना मुआवजा देना पड़ेगा। इसी तरह से प्रिवि प्रसिज के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था कि सरकार पहले यह तय करे कि राजाओं की मार्किट वैल्यू के हिसाब से कितना पैसा मिलेगा और इसमें कोई एम्बिगुइटी नहीं रहनी चाहिए। इस सरकार ने और इस सरकार के चीफ मिनिस्टर ने बहुत कुछ कहा है कि हम स्टेट में समाजवाद लायेंगे परन्तु यह सब जबानी जमा–खर्च की ही बात करते हैं। मैं उनका ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि जिन कुछ लोगों के हाथ में आर्थिक शक्ति केन्द्रित हो गयी है उसका विकेन्द्रीकरण होना चाहिए। जिन लोगों के हाथ में आर्थिक शक्ति है वे पहले कोर्ट में चले जाते थे और कोर्ट सरकार के फैसले के अगैन्सट डिसीजन दे देती थी अब इस संशोधन के बाद सरकार के फैसले को कम से कम कोर्ट रोक नहीं सकेगी। अब इस देश के नुमाइंदों पर चाहे वे पार्लियामैंट के हैं, या राज्य के हैं उनके ऊपर एक बड़ी भारी जिम्मेदारी आयद हो जाती है। इस संशोधन के बाद हमारा मुद्दा पूरा हो जाता है। अगर अब यह सरकार उस मुद्दे को पूरा नहीं करती है तो बड़े अफसोस की बात होगी। जब मैं हरियाणा की तरफ देखता हूं तो मुझे दुःख होता है कि सूरजपुर सीमेंट फैक्टरी सन् 1937 में कायम हुई थी और आज तक वह प्राइवेट लोगों के ही हाथ में चली आ

रही हैं। उस फैक्टरी की लीज 24 नवम्बर, 1971 को एक्सपायर हुई थी परन्तु हरियाणा सरकार ने 3 सितम्बर, 1971 को फिर एक एसोशिएट कम्पनी लिमिटिड को पट्टा दे दिया। इसके पीछे कई कारण हैं और लोगों को इस सदाकत से इन्कार नहीं करना चाहिए। एक तरफ तो नारा लगाते हैं कि हम मनोपली खत्म करने जा रहे हैं। भारत सरकार ने मनोपली कमीशन बैठाया। उसने रिपोर्ट दी की हिन्दुस्तान में 76 खानदानों के हाथ में हिन्दुस्तान की चालीस परसैन्ट दौलत है। इसी प्रकार से पाकिस्तान में भी 22 खानदारों के पास थी परन्तु श्री भुट्टो ने जैसा किया है वह सब को मालूम ही है। मनोपली कमीशन इसलिए बैठाया गया था कि हमारी दौलत कहां और किस के पास जा रही है जबकि हिन्दुस्तान की राष्ट्रीय आये बढ़ी है परन्तु फिर भी समाजवाद क्यों नहीं आया, गरीब लोगों की हालत में सुधार क्यों नहीं आया। मनोपली कमीशन ने 76 खानदानों और फर्मो ने नाम दिये हैं कि इनके पस औधोगिक शक्ति और दौलत है। उसके बाद यह भी फैसला हुआ कि जो इजारेदारी और मनोपली कुछ हाउसिज में है जैसे बिरला, टाटा और डालमिया, उनको लाइसेंस न दिये जायें। अभी तक सरकार ने कोई ऐसा कदम नहीं उठाया कि जिससे उनके साधन कम किये जा सकें जिससे वे ज्यादा धन न कमा सकें।

सूरजपुर फैक्टरी की 24 नवम्बर, 1967 को लीज एक्सपायर हो गयी। उसके बारे मैंने 425 नम्बर सवाल पूछा था कि इसकी लीज कब एक्सपायर हुई, और क्यों इसमें यह क्लाज भी

थी कि इसकी जायदाद, बिल्डिंग और कैपिटल को बगैर मुआवजे के ले सकते हैं? जवाब आया कि ऐसी कोई शर्त नहीं थी परन्तु शर्त यह थी–

> "..... However, the Government had a right to purchase all or any of the machinery, plant, building etc. erected upon the leased land by paying a price equivalent to the cost of the same at the time of their erection on the said lands after deducting from such costs a sum equal to 5 per cent thereof for every year which has elapsed since that time."

डिप्टी स्पीकर साहिबा इसका साफ मतलब है कि पांच फीसदी डिप्रिसियेशन काट कर, उसकी जो पहले की कीमत थी उसी पर सरकार इसको ले सकती थी लेकिन सरकार ने बीस साल के लिए 809 एकड़ जमीन और भी दे दी और 43 एकड़ पहले ही दी हुई थी। इस लीज से लेकल 12 हजार 200 रूपया साल का मुआवजा मिलेगा। यहां पर कहते हैं कि हम समाजवाद लायेंगे और इसीलिए यह संशोधन लाये हैं। यह सीमेन्ट फैक्टरी बिना किसी मुआवजे के आ सकती थी परन्तु इन्होंने फिर लीज पर दे दी। दुनिया की जितनी भी 'की' इन्डस्ट्रीज होती हैं वे सभी नैशनेलाईज होती हैं। जिस प्रकार से बड़ी–बड़ी स्टील इन्डस्ट्रीज हैं उसी प्रकार से यह सीमट का उद्योग भी 'की' इन्डस्ट्री में शामिल है। यह फैक्टरी हमारे हाथ में मुफ्त में आ रही थी। उस फैक्टरी को गवर्नमेंट खुद चलाती और पब्लिक को फायदा

पहुंचाती। हमारी सरकार ने तो उस फैक्टरी को गवर्नमेंट खुद चलाती और पब्लिक को फायदा पहुंचाती। हमारी सरकार ने तो उस फैक्टरी में अपना कोई हिस्सा तक भी नहीं डाला, सीधा ही प्राईवेट कम्पनी को दे दिया। क्या यह मनोपली नहीं है कि उनको ही और पावर्ज दे रहे हैं? संविधान में तरमीम करने से क्या फायदा, अगर उस पर अमल न किया जायें?

मैं यहां हाउस में कई बार कह चुका हूं कि हरियाणा मैं सरस्वती शूगर मिल है। उसका राष्ट्रीयकरण किया जाये परन्तु इस सरकार ने उस ओर कोई ध्यान ही नहीं दिया। हमारी राज्य सरकार ने पब्लिक सैक्टर को बढ़ावा देने के लिए अभी तक कुछ नहीं किया। यदि कुछ थोड़ा बहुत किया है तो हमारी सैन्ट्रल गवर्नमैंट ने ही किया है। मुझे तो खुशी है कि हम अपने संविधान में संशोधन करने जा रहे हैं। मैं तो हरियाणा के मुख्यमंत्री जी से कहता हूं कि जो इस रैटीफिकेशन के पीछे भावना है उस पर अमल किया जाये। आर्थिक शक्ति चन्द लोगों के हाथ में न दें। बनारसी दास जी ने इस सशोधन की तारीु की है परन्तु इसको जबानी जमा–खर्च में न रखे, इस पर कुछ अमल करें, समाजवाद लायें ताकि लोगों को भी कुछ पता लगे कि हम इस नयी क्रांति के अनुसार आगे बढ़ रहे हैं।

सन् 1950 में जब हमारा संविधान लागू हुआ, उस टाईम पर यह विचार था कि लोग इसमें कोई रूकावट नहीं डालेंगे

और सोशलिज्म लाने में कोई कठिनाई नहीं होंगी परन्तु कुछ रूकावटें आने के कारण ही संविधान में संशोधन करना पड़ा।

मेरी सरकार से गुजारिश है कि जिन लोगों के पास थोड़ी जमीनें हैं, छोटे लैन्ड–लार्ड हैं उनके बच्चों को क्यों भूखे मार रहे हो। उनसे जमीन लेने से कोई फायदा नहीं। मैं उम्मीद करता हूं कि जो बड़े–बड़े आदमी है जिनके पास बहुत जमीन है जैसे रौनक सिंह हैं उनमें जमीनें लेकर तेजी से गरीब लोगों को दी जायें। ताकि वे अपनी आमदनी बढ़ा सकें। मैं इस तरमीम का स्वागत करता हूं और ताइद करता हूं। आपने मुझे समय दिया उसके लिए भी धन्यवाद करता हूं।

(इस समय चौ. रणबीर सिंह जी बोलने के लिए खड़े हुए)

उपाध्यक्षा: चौधरी साहब, शारदा जी की रिक्वैस्ट आयी है कि पांच मिनट बोलना चाहती हूं और आपने काफी लम्बी स्पीच देनी हे इसलिए पांच मिनट का टाईम उन्हें पहले दे देती हूं।

मुख्य संसदीय सचिव (श्रीमती शारदा रानी कुंवर): मैडम डिप्टी स्पीकर, आज यह संविधान के 25वें संशोधन का रेटिफिकेशन हमारे सामने आया है, इससे पहले 24वां जो सशोधपन हुआ था, कुछ दिन पहले उसका रेटिफिकेशन हम लोगौं ने किया था। असल में हमारे संविधान का यह संशोधन है, वह जो हमारा आज का उदेश्य है और जो शायद स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद से हमने उदेश्य बनाया था, और जिसके आधार पर ही हमने

अपने संविधान को बनाया था, उसी दिशा की और जो तेजी से कदम बढ़ रहे हैं, उनका ही एक कदम हम इसको कह सकते हैं। वैसे तो मैडम जो हमारा यह कांस्टीच्युशन बना था, तब भी हमारा उदेश्य यही था। जो आज चाहते हैं फिर भी इस प्रकार की कुछ कमियां इस कांस्टीच्युशन के अन्दर रह गई थीं कि जिन्होंने हमारे इस उदेश्य को पूरा नहीं करने दिया था। जो क्लाज न. 2 है उसमें जब कांस्टीच्युशन के बनने के बाद, स्वतन्त्रता के बाद हमारे कोर्टस जब उसको इन्टरप्रेट करते थे तो उसका जो सही भाव था मेरे ख्याल में कांस्टीच्युशन बनाने वालों का, उसी भावना से करते थे लेकिन जैसा कि किसी ने एक बार कहा भी है कि जजिज की और लायर्ज की अपनी मनमर्जी और अपने भाव के और अपनी भावना के ऊपर बहुत सी बातें निर्भर करती है। किसी ने जो कहा था – "Law is one generation behind society & lawyers are two generations behind society and I may add, the Judges are three generations behind society." तो पहले तो इन्होंने इसका ठीक–ठीक इन्टरप्रटेशन कर दिया, हमारे यहां जमींदारी एबोलूशन हुए, उनमें सारे फैसले ठीक रहे, लेकिन अब उसके बाद यही कहा जा सकता है कि हमारे जो जजिज थे वो शायद थ्री जनरेशन बिहाइंड दी सोसायटी चले गये और उन्होंने जो हमारे पीछे कुछ फैसले हुए थे प्रिविपर्सज के बारे में और जो बैंक नैशनेलाइजेशन वगैरह के बारे में, उन्होंने जिस तरीके से फैसले दिये उसमें उन्होंने अपने पिछड़ेपन को साबित कर दिया। इसका कारण हमारे कांस्टीच्युशन में कुछ शब्दों का हेरफेर और कुछ शब्दों की कमी

कही जा सकती है। जो आर्टिकल 31 में कम्पेन्सेशन शब्द है शायद उससे उन्होंने जो लगाया कि जितना भी अगर हम कम्पेन्सेशन देते हैं तो वह मार्किट वैल्यु के मुताबिक ही होना चाहिये और इसलिये जो कम्पेन्सेशन दिया गया वह मार्किट वैल्यु के मुताबिक देने पर जो हमारी भावना है जो मुख्य बात है, जो हमारे सविधान की आत्मा है, हमारे संविधान का आर्टिकल 39 देखा जाये तो इस तरह से जो हमारे डायरैक्टिव प्रिसिपल्ज हैं और हमारे जो इसमें यह एम्ज एंड औब्लेक्टस बताए गये हैं, उसमें भी और जो आर्टिकल 31–सी इसमें जोड़ा गया है वह भी इनको बहुत कुछ सही रूप दे देता है। हमारी जो 39 में 'बी' और 'सी' हैं इसमें स्पष्ट कहा गया है – "(b) that the ownership and control of the material resources of the community are so distributed as best to subserve the common good."

इसमें भी हमारी इकोनोमिक पालिसी को लिया गया है और इसका जो 'सी' है उसमें भी लिखा गया है "(c) that the operation of the economic system does not result concentration wealth and means of production to the common in the detriments."

तो इस तरीके से हमारे स्टेट के औब्जैक्टिव थे, स्टेट का जो उदेश्य था, जो राज का उदेश्य था कि जो हमारी सम्पति है, उसका सही और समान वितरण हो। इन उदेश्य था कि जो हमारी सम्पति है, उसका सही और समान वितरण हो। इन उदेश्यों पर पहुंचने के लिये इसके अन्दर आर्टिकल 31–सी जोड़ा गया है। जो, जिसमें यह स्पष्ट किया गया है कि कोई भी ला, कोई भी कानून

जो हमको यह कह देते हैं कि हम उन उदेश्यो की ओर चल रहे हैं, उनका जो कोर्ट है, कोर्ट के अन्दर उनको कवैश्चन नहीं किया जा सकता है। इस ग्राउंड के ऊपर ये हमारे प्रिंसिपल के उपर नहीं मिलते हैं। तो इसीलिये जो हमारे सामने यह संविधान के जो संशोधन हैं, ये आये हैं, और मैं यह समझती हूं कि जो हमारा कन्सैंट्रेशन आफ वैल्थ वाली बात थी इसको हम बहुत हद तक इस अमेंडमैंट के साथ रोकते हैं और अगर हम इसका जो मार्केट वैल्यु के ऊपर कम्पैंसेशन है, वही देते रहे तो जो बड़ी होल्डिंग्ज हैं, जो बड़े–बड़े जिन चीजो ंको समाज में हम इक्वली डिस्ट्रिब्यूट करना चाहते हैं अगर उन चीजों को और बराबर मार्किट वैल्यु पर कम्पेन्सेशन दिया जाये तो उसका तो कोई फायदा नहीं हुआ, उन लोगों को जिन्होंने कन्ससैंट्रेशन आफ वैल्थ कर रखी है, जिन्होंने देश की सारी पूंजी को अपने हाथ में इकट्ठा कर रखा है, अगर इनको मार्केट वैल्यु पर कम्पेंसेशन दिया गया तो उसका क्या परिणाम होगा? वैल्थ के बदले पैसा उनके पास जमा हो जायेगा और पूंजी जमा हो जाएगी और फिर नतीजा वहीं का वहीं रहेगा और सिफर रहेगा। इसलिये उन चीजों को रोकने के लिये और जो भी उनकी प्रापर्टी है वह किसी समय और उतने अमाउंट पर जितना कि पार्लियामेंट और जनता के चुने हुए जो ये नुमायंदे हैं वे फिट समझें कि इसके बदले में इनको क्या दिया जाये। वह देकर के और उनको और उनकी वैल्थ को ले लिया जाये। इसके लिये यह अमेंडमैंट है। मैं समझती हूं हमारा जो हाउस है वह इसको पूरा–पूरा समर्थन देगा।

चौ. रणबीर सिंह (किलोई): उपाध्यक्षा महोदया, मुख्यमंत्री जी ने 25 वें संविधान संशोधन के लिये जो प्रस्ताव सदन के सामने रखा है, मैं उसका समर्थन करता हूं। इस सदन में मरे सिवाय, कोई भी ऐसा सदस्य नहीं है, जिसको संविधान बनाने के वक्त मैम्बर के नाते सुनने और बहस में हिस्सा लेने का मौका मिला हो। आप जानते हैं कि 15 अगस्त, 1947 को हमारे देश में एक राजनैतिक क्रान्ति आई और हमारा देश आजाद हुआ। हमें आर्थिक और सामाजिक क्रान्ति लानी थी। इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए सविधान के अन्दर बहुत सारी बातें रखी गयी थीं। लेकिन समय बदलता है। समय बदलने के साथ–साथ कुछ तोल भी बदलते हैं। वह एक ऐसा समय था जिसमें सबका सहयोग चाहिए था, राजाओं का भी सहयोग चाहिए था क्योंकि एक तिहाई हिन्दुस्तान पर राजे–महाराजे हकूमत करते थे। उस समय एक ही रियासत के बारे में गड़बड़ हुई और उसका फैसला आज तक भी नहीं हो सका है। पता नहीं, कितने सौ करोड़ रूपया हिन्दुस्तान को काश्मीर के लिये खर्च करना पड़ा है! आज भी काश्मीर का मामल पाकिस्तान और हिन्दुस्तान में झगड़े की एक जड़ है।

संविधान बनाने वालों के सामने बहुत सी मुश्किलातें थीं। इसीलिये उन्होंने संशोधन के लिये एक प्रावधान रखा था ताकि पार्लियामैंट यानी लोकसभा और राज्यसभा संविधान में तबदीली कर सके। आपके देखा कि सारे देश में राजनीतिक क्रांति मुकम्मल हुई सामाजिक क्रान्ति भी मुकम्मल हुई। सामाजिक क्रान्ति

का ही सबूत है कि हमारे मानयोग चौ. चाँद राम और श्याम चन्द जी तथा दूसरे भाई यहाँ आये। जो लोग कभी पिछड़े हुए समझे जाते थे, उनमें से अगर मैम्बरों की काबलियत देखी जाये, उस हिसाब से व ही सबसे ज्यादा काबलियत वाले इस सदन के सदस्य हैं। इसके अलावा हमें आर्थिक क्रान्ति भी लानी थी। आप जानते हैं कि हमारे यहाँ दो–तीन किस्म की जायदाद है। एक जमींदारी के रूप में थी। एक कारखानों में हिस्सों की शक्ल मैं थी और एक वह थी जैसे कोई खानदान या कुछ लोग मिल–जुल कर इंडस्ट्री या बिजनैस हाउस बनाते हैं। हिन्दुस्तान के अन्दर, जमीन का मामला लगभग तय हो चुका है। हिन्दुस्तान की सारी विधान–सभाओं ने जमींदारी उन्मूलन के कायदे कानून बनाये और अब वह तकरीबन खत्म हो गयी है। इस मामले में जो मुआवजा दिया गया, उस मुआवजे के हिसाब को आप देखें। आप जिस सदन की सदस्या रही हैं और जिस पंजाब के कानून आज भी हमारे ऊपर लागू हैं, उसमें जो जमीन सरप्लस आयी थी, अगर उस पर कोई मुजारा बैठा था तो उसे जमीन का मालिक बनाने के लिये लैंड रैवेन्यू का कुछ गुणाया कुछ पैसा नियत किया गया था कि अगर वह इतना पैसा मालिक को दे दे तो वह जमीन का पूरा मालिक हो जायेगा। अगर वह पैसा न भी दे तो भी मालिक उसे हटा नहीं सकता। उपाध्यक्ष महोदया, हमने हजारों रूपये, दो–तीन पाँच और 10 हजार रूपये एकड़ की जमीन का मालिक, मुजारों को 40–50–100 या 200 रूपये एकड़ के हिसाब से बनवाया था और इस तरह से समाज के लिये एक बहुत अच्छा काम किया था।

उन भाईयों का दखल धीरे–धीरे घट रहा था जिनके पास लम्बे–लम्बे पर्सिज थे और वह घटा भी। पर्सिज मे मेरा मतलब सरमाये है। पर्सिज से मेरा मतलब प्रिवी–पर्सिज या किसी बहिन के पर्स से नहीं है। प्रजातन्त्र में चूंकि सबको राय देने का हक मिला, इसलिये सरमायेदारों का दखल धीरे–धीरे घटना लाजमी था और वह घटा। आज हम संविधान में तबदीली करने जा रहे हैं। जो प्रस्ताव हमारे सामने आया है, उसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। बात सिर्फ इतनी है कि इस संशोधन से हमें बाजारी भाव नहीं देना पड़ेगा और बाजारी भाव वाली बात नहीं रहेगी। पहले मैंने क्या देखा है, इस बार मैं किसी इंडस्ट्रियल हाउस कानाम नहीं बताऊँगा, नम्बर भी नहीं बताऊँगा क्योंकि वह तो आँकड़ों की बात है, लेकिन यह एक सही बात है कि हिन्दुस्तान के अन्दर जो बड़े–बड़े कारखाने बने इनका एक आर्थिक इतिहास है।

इन्कमटैक्स एक्ट के अन्दर यह लिखा हुआ है, पहल था अब उसको रोक दिया है कि किसी कारखाने को जो आमदनी होती है ओर उसके ऊपर जो टैक्स लगता है अगर उस आमदनी को कारखाने की बढ़ौतरी की शक्ल में लगाएंगे तो उस पर डिवैल्पमैंट रिबेट मिलेगी। हिन्दुस्तान आजाद होने के बाद डिवैल्पमैंअ रिबेट से बनने वाले कारखाने हजारों–करोड़ों रूपए के हैं, उनका हम बाजारू भाव से मुआवजा दें या न दें, सवाल यह है। यह ठीक है कि जब हम संविधान में तबदीली ला रहे हैं तो इसके मायने यह हैं कि अगर किसी की जमीन ली जाएगी तो

उसके बारे में मुआवजे की राशि सदन मुकर्रर करेंगे। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि लोग होई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में नहीं जाएंगे व दूसरे कारण हैं जिनके कारण वे कोर्ट में जा सकेंगे लेकिन जहाँ तक मुआवजे का सम्बन्ध है हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का उसमें दखल नहीं होगा। मुआवजे के बारे में असैम्बली, लोकसभा और राज्यसभा को पूर्ण अधिकार है कि वह नियत करें कि कितना मुआवजा दिया जाए। दूसरे शब्दों में या जुडिशियल भाषा में अगर हम कहें तो यों कह सकते हैं कि कम्पेन्सेशन पहले जस्टीफिएबल था, उसकी अदालत जांच कर सकती थी कि यह सही है या नहीं है वह अब जस्टीफिएबल नहीं है। अब कम्पेन्सेशन विधान सभा, पार्लियामैंट या राज्यसभा द्वारा तय करने वाली बात है। यह ठीक है कि यह चीज गरीबों पर भी लागू होगी, छोटे किसानों पर भी लागू होगी लेकिन उनको घबराने की बात नहीं है। जब यह सदनों को फैसला होगा तो यह कभी नहीं हो सकता है कि कोई अनुचित बात हो। हिन्दुस्तान के राजनीतिक इतिहास में यह बात साफ है कि जब भी छोटे आदमियों की कोई चीज ली गई है तो उनको न केवल मुआवजा दिया गया है बल्कि रिहैबलिटेशन ग्रान्ट भी दी गई है (घंटी) उपाध्यक्ष महोदया, मैं विषय पर ही बोल रहा हूं, उसके बाहर नहीं जा रहा हूं। मुझे थोड़ा समय और बोलने दें।

उपाध्यक्षा: ऐसा है कि पांच मिनट फाईनैंस मिनिस्टर भी बोलना चाहती हैं और फिर हाउस दो बजे तक के लिए अडजर्न भी होना है।

चौ. रणबीर सिंह: मैं कोशिश यही करूंगा कि कुछ देर पहले ही समाप्त कर दूं जिससे वित्त मंत्री महोदया बोल सकें। आप चाहें तो कुछ देर के लिए हाउस का टाईम बढ़ा दें।

एक आवाज: नहीं जी, हाउस का टाईम नहीं बढ़ना चाहिए।

चौ. रणबीर सिंह: उपाध्यक्ष महोदया, दरअसल मैं यह बताना चाहता हूं कि संविधान में तबदीली के क्या मायने हैं। आज जिसे स्टेट बैंक कहते हैं उसे पहले इम्पीरयल बैंक कहते थे। चार–पांच करोड़ के सरमाए से यह बैंक स्थापित किया गया था। जिन लोगों ने इसमें हिस्सा दिया पता नहीं उन्होंने कितना रूपया इससे कमा लिया। कम्पेन्सेशन के बारे में, जमीन के बारे में कागजों में कुछ भी नहीं लिखा होता लेकिन पिछली दफा जब हमारी सरकार ने चौदह बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया तो सरकार ने जितना लोगों का हिस्सा था उससे तीन गुणा, चार गुणा कम्पेन्सेशन रखा और वह था पन्द्रह करोड़ रूपया। लेकिन अदालत ने उसे साठ करोड़ कर दिया। असल बात यह है कि हमको परिस्थिति के अनुसार और वक्त के अनुसार बदलना चाहिए। पहले जिस कारखाने को लिया जाता था उसके पीछे यह भावना थी की

यह कारखाना अच्छी तरह से नहीं चलता लेकिन आज हमारी सरकार और कांग्रेस पार्टी की यह बिल्कुल साफ नीति है कि चाहे कोई कारखाना अच्छे ढंग से भी चलता है लेकिन अगर उसको लेना जनता के हित में जरूरी है तो उसे ले लिया जाएगा। कल की बात है कुछ दोस्तों ने कहा कि फलां कारखाना अच्छी हालत में चल रहा है मैं नाम तो नहीं लूंगा, लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि इस कारखाने को अगर तबदीली होने के पहले लिया जाता तो पता नहीं कितने करोड़ों रूपया देना पड़ता, कल चौ. चांद राम ने भी इस सम्बन्ध में बात की थी, मैं समझता हूं कि यह उनके समझ का फर्क है। मैं मुख्यमंत्री को इसके लिए मुबारिकबाद देना चाहता हूं। इससे प्रदेश का काफी पैसा बचेगा।

उपाध्यक्ष महोदया, जैसा मैंने पहले कहा कि एक कारखाना जो डिवैल्पमैंट रिबेट से बना है किसी को क्या अधिकार है कि उसका मुआवजा मिले। इतने साल तक तो वे एयर कंडीशंड में रहे, कारों, हवाई जहाजों में सैर की, इतने आराम तो उन्होंने उठा लिए अब भी उनको मुआवजा दिया जाए। उपाध्यक्ष महोदया, राजस्थान के इलाके से जोकि रेती में पैदा हुए, अपने पल्ले से लुटिया लाए थे और वे कलकत्ता चले गए। एयर कंडीशन में कितने साल तक रह गए। उनको एक लुटिया की बजाए दो लुटिया दे दीो, चार लुटिया दे दो छः लुटिया दे दो लेकिन उनको बाजारू भाव से कम्पेन्सेशन देना, बिल्कुल गलत बात है। हमारी प्रधानमंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी जब शक्ति में आई तो उन्होंने इस

बात के लिए एक अहम इरादा किया और हिन्दुस्तान के अन्दर एक लोकमत पैदा किया जो लोकसभा के इलेक्शन के अन्दर सामने आया। मैं अपनी प्रधानमंत्री को मुबारिकबाद देता हूं कि जो जजीरें आर्थिक क्रांति लाने में रूकावट डाल रही थी उनको तोड़ दिया और जो लोकसभा के चुनावों में वायदा किया उनको पूरा किया। मैं अपने यहां के बारे में तो नहीं कहता लेकिन दूसरी जगह जहां इलक्शन होने जा रहे हैं वे लोग हमसे पूछ सकते हैं कि प्रधानमंत्री ने जो वायदे किए ि वे कहा तक पूरे किए हैं। अब हम कह सकते हें कि प्रधानमंत्री ने जो वायदा किया था उनको पूरा किया है। मैं संविधान में तबदीली लाने के लिए अपने प्रधानमंत्री को एक बार फिर मुबारिकबाद देता हूं।

Deputy Speaker: Question is-

That this House ratifies the amendments to the Constitution of India falling within the purview of the proviso to clause (2) of Article 368 thereof, proposal to be made by the Constitution (Twenty-fifth Amendment) Bill, 1971, as passed by two Houses of Parliament.

The motion was carried.

Deputy Speaker: The House stands adjourned till 2.00 P.M. today.

1.00 P.M.

(The Sabha then adjourned till 2.00 P.M. on Tuesday the 18th January, 1972.)